रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—78

Registered No. D-(D)-78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22, 1978 (वैशाख 2, 1900)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22, 1978 (VAISAKHA 2, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 मार्च 1978

सं० ए० 12019/1/78-प्रशा० II—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) तथा स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) श्री एम० एल० खण्डूरी को 2-3-1978 से 31-5-1978 तक की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष के विशेष सहायक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के विशेष सहायक के संवर्ग बाह्य पद पर श्री एम० एल० खण्डूरी प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे और उनका वेतन समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 10 (24) ई-III/60 दिनांक 4 मई, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा।

सं० ए० 12019/2/78-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं० ए० 12019/4/77-प्रशासन II दिनांक 22-12-1977 तथा 21-1-1978 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा इस कार्यालय के स्थायी अनुसन्धान सहायक (हिन्दी) श्रीमती सुधा भार्गव और श्री चन्द किरण को कनिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (हिन्दी) के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर 1-3-1978 से 30-4-1978 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 मार्च 1978

सं० ए० 12019/1/75-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित सहायक अधीक्षकों (हाल०) को, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1-3-78 के पूर्वाह्न से तीन मास की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (त० स०) के पद पर

स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री बी० आर० गुप्ता और
2. श्री एम० एम० शर्मा

पी० एन० मुखर्जी
अवर सचिव
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1978

सं० ए० 12019/5/74-प्रशा०II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के के० स० से० संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री मं० से० छाबड़ा को स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर वरिष्ठ अन्वेषक के पद पर 13-3-1978 से 31-5-1978 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रबन्ध किये जाने तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्री मं० से० छावड़ा संघ लोक सेवा आयोग में वरिष्ठ अन्वेषक के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर होंगे और उनका वेतन समय समय पर यथासंशोधित वित्त मन्त्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 10 (24)-ई० III/60 दिनांक 4-5-1961 में निहित उपबन्धों के अनुसार विनियमित होगा।

सं० ए० 12019/1/75-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी, 1978 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधिक्षकों (हाल०) को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1-3-78 से तीन मास की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में सहायक नियंत्रक (तथ्य संसाधन) के पद पर तदर्थ आधार में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है :—

1. श्री एम० एल० धवन
2. श्री जे० एल० कपूर और
3. कुमारी सतोष हांडा

पी० एन० मुखर्जी
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

प्रवर्तन निदेशालय

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1978

सं० ए०-11/5/78—श्री डी० पी० बसु, निवारक अधिकारी ग्रेड I (सा० ग्रे०), सीमा-शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय, कलकत्ता को दिनांक 1-3-78 से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष यूनिट, कलकत्ता में प्रतिनियुक्ति पर सीमा-शुल्क निरीक्षक के पद पर स्थानपन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस० डी० मनचन्दा
निदेशक

गृह मंत्रालय

भारत के महापंजीयक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1978

सं० 11/10/76-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 11/10/76-प्रशा०I दिनांक 12 सितम्बर, 1977, के अनुक्रम में, कार्यालय जनगणना निदेशक, पंजाब के, श्री के० सी० सूरी, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) को कार्यालय जनगणना कार्य निदेशालय, महाराष्ट्र बम्बई में उप-निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर बिल्कुल अस्थायी तथा तदर्थ नियुक्ति को अगले दो महीनों के लिए दिनांक 1-3-78 से 30-4-78 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी कम हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

बद्रीनाथ
भारत के उप-महापंजीकार तथा
भारत सरकार के पदेन उप-सचिव

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लखा विभाग

कार्यालय महालेखागार, केन्द्रीय राजस्व

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1978

सं० प्रशासन-I/का० आ०-720/व्य० फ०/आर० के० आनन्द-2737—श्री आर० के० आनन्द की सेवानिवृत्ति से संबंधित इस कार्यालय की तारीख 4-1-78/17-1-78 की अधिसूचना सं० का० आ० प्रशासन-I/603 में "श्री आर० के० आनन्द उप-महालेखाकार के पद पर कार्य करते हुए" के स्थान पर निम्नलिखिद प्रतिस्थापित करें।

"श्री आर० के० आनन्द, एक अस्थायी सहायक महालेखाकार, उप-महालेखाकार के पद के कार्य की देखभाल करते हुए "

दिनांक 3 अप्रैल 1978

सं० प्रशासन-I/का० आ० सं० 750/5-5/पदोन्नति/77-78/2829—महालेखाकार इस आदेश के द्वारा इस कार्यालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 840—1200 रु० के समय वेतनमान में 15 मार्च, 1978 से अगले आदेशों तक स्थानापन्न लेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

नाम

1. श्री राजा राम
2. श्री एस० के० वर्मा

कौ० हि० छाया
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

मुख्य लेखा परीक्षक का कार्यालय, पश्चिम रेलवे

बम्बई, दिनांक 28 मार्च 1978

सं० एस० ए०/एच० क्यू०/प्रशासन/IX/1/8182— इस कार्यालय के स्थायी लेखा परीक्षा अधिकारी श्री बी० एस० जौहरी

को दिनांक 1-1-1978 से स्थायी रूप से लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

अ० ना० बिस्वास,
मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियंत्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 3 अप्रैल 1978

सं०-18179/प्रशा०-II:—स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दिए जाने पर, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी, श्री एस० कृष्णा मूर्ति (मद्रास परमाणु शक्ति-परियोजना कलपाक्कम में प्रति नियुक्ति पर) को 4 अक्तूबर, 1977 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया और उसी दिन से वे विभाग की नफरी पर नहीं रहे।

2 : शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय की श्री एस०कृष्णा मूर्ति सम्बन्धी दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

वी० एस० भीर,
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1978

सं० 23012(1)/76-प्रशा० ए०—रक्षा लेखा महानियंत्रक निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को स्थाई लेखा अधिकारियों के रूप में, आगामी आदेश पर्यन्त प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख से एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	संगठन जहां सेवारत हैं	प्रभावी तारीख
1	2	3	4
1.	ए० पाल राज	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	28-6-71
2.	सर्व प्रकाश मेहरा	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	1-1-74
3.	राम कृष्ण शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	22-2-76
4.	इन्दर सिंह ओबेराय	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	23-2-76
5.	एस० पी० शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	15-12-76
6.	टी० आर० सबरवाल	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	15-12-76
7.	के० सुब्रह्मण्यन	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	15-12-76
8.	आर० स्वामीनाथन	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना	24-12-76
9.	पोरेश लाल मुखर्जी	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना	15-1-77
10.	श्याम सुन्दर शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	15-1-77
11.	जी० एस० साहनी	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	26-8-77
12.	एस० रामनाथन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	14-10-77
13.	सुखपाल गुप्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	1-2-77
14.	ए० सुब्रह्मण्या अय्यर	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	8-1-78
15.	शान्ति लाल चोपड़ा	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	26-3-77
16.	कृष्ण लाल साहनी	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	1-10-76
17.	पृथ्वी राज चोपड़ा	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ	7-10-76
18.	तीर्थ राम नारंग	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	18-11-76
19.	नाथू राम कपूर	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	4-11-76
20.	जीत सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (उत्तरी कमान) जम्मू	1-10-76
21.	जे० राम नाथन	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना	18-12-76
22.	दुलारे लाल कनौजिया	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	1-10-76
23.	बन्ता सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	13-12-76
24.	रणजीत सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	16-12-76
25.	चन्द्र भान विद्यार्थी	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	16-12-76
26.	सन्तोष सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	11-12-76
27.	मान सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना	27-12-76
28.	राम कृष्ण वशिष्ठ	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना	11-12-76
29.	एल० एन० नाथामुनि	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पूना	20-12-76

1	2	3	4
30.	धासी राम गोकुल	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	28-12-76
31.	डोरी लाल	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) पटना	16-12-76
32.	पी० पेरियासामी	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	30-12-76
33.	पी० के० थीवेन	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	27-12-76
34.	ज्योति लाल	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	16-12-76
35.	राधे श्याम पाल	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना	31-12-76
36.	डी० कृष्ण मूर्ति	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	1-2-77
37.	अमर नाथ भरारा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	3-2-77
38.	जय देव कोहली	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	26-5-77
39.	गणेश दास सेठी	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ	1-2-77
40.	एन० शिवशंकरन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	1-2-77
41.	सत्येन्द्र नाथ मुखर्जी	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	21-5-77
42.	राम कृष्ण राजपाल	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	27-2-77
43.	के० रत्ना स्वामी	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास,	1-2-77
44.	एस० नीलकंठन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	10-2-77
45.	जसवन्त राय मल्होत्रा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	21-3-77
46.	एच० एल० मलिक	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	1-2-77
47.	वी० अच्चुयुत नारायण्न	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	1-2-77
48.	जगदेव पाल मेहरा	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	1-2-77
49.	गोबिन्द लाल मुखर्जी	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	28-2-77
50.	अमीर चन्द कपूर	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	1-2-77
51.	सूरत सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	5-2-77
52.	हरिचन्द बावा	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	1-2-77
53.	एस० ए० कुलकर्णी	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	3-3-77
54.	जे० एन० माथुर	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	1-2-77
55.	एन० एल० गोगिया	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	28-2-77
56.	सोहन लाल	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	28-2-77
57.	पुरुषोत्तम लाल शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (उत्तरी कमान) जम्मू	12-2-77
58.	जगदीश राय खन्ना	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	1-2-77
59.	ऊधो दयाल शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	10-3-77
60.	के० एस० माधवन	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) बम्बई	3-2-77
61.	सुविन्दर सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	1-2-77
62.	नरेन्द्र नाथ कपूर	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	27-2-77
63.	मंगल सेन भसीन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	1-2-77
64.	वी० एन० गंगाधरन नायर	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	20-2-77
65.	राजेन्द्र सिंह दोसज	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ	1-5-77
66.	सुन्दर लाल सिक्का	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	7-3-77
67.	मदन मोहन कपूर	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	11-3-77
68.	बी० एस० थापर	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	4-3-77
69.	पी० महादेवन	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) बम्बई	1-3-77
70.	जोगा सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य कमान , मेरठ	1-3-77
71.	ए० एस० भाटिया	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	24-3-77
72.	एस० भागीरथन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना	1-3-77
73.	जगदीश चन्द्र कथूरिया	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ	30-4-77
74.	राम देव चोपड़ा	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	17-3-77
75.	तेज प्रकाश नन्दा	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	28-8-77
76	जगन्नाथ मलहोत्रा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	26-3-77

1	2	3	4
77.	पुरुषोत्तम लाल स्याल	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	7-3-77
78.	ए० जी० कैमल	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	29-9-77
79.	वजीर चन्द	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	17-6-77
80.	तखत सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक उत्तरी कमान, जम्मू	1-4-77
81.	गोपी चन्द टडन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	21-5-77
82.	के० जी० वकटेश्वरन्	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	1-4-78
83.	एम० आर० श्रीनिवास राघवाचारी	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	2-6-77
84.	आर० के० अयंगर	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	1-4-77
85.	गुरबख्श सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	1-4-77
86.	ओ० पी० चोपड़ा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	25-6-77
87.	एल० सी० गुप्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	21-1-78
88.	कुन्दन लाल मलिक	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	15-4-77
89.	राम नाथ शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	17-5-77
90.	आर० एल० सहगल	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	12-5-77
91.	एस० के० खन्ना	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	12-5-77
92.	अमृत भूषण मलिक	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	26-6-77
93.	के० सूर्यनारायणन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	28-5-77
94.	डी० एन० खुराना	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	1-5-77
95.	कृष्ण कुमार कपिला	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	13-5-77
96.	जी० वेंकटारामन	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	26-5-77
97.	के० एस० स्थाना	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	2-6-77
98.	हर कृष्ण लाल	रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य कमान, मेरठ	2-6-77
99.	लछमन सिंह सोही	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	2-6-77
100.	देश राज भाटिया	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	2-6-77
101.	राजा राम वर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक मध्य कमान, मेरठ	4-6-77
102.	राम लाल मदान	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	30-6-77
103.	पी० राम मोहन राव	रक्षा लखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पूना	11-6-77
104.	शशांक मोहन देव	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	1-8-77
105.	डी० डी० कवि	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पूना	30-6-77
106.	हरि भगत शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	12-6-77
107.	रेवाधर जोशी	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद	2-6-77
108.	राम लाल गोयल	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	14-7-77
109.	श्री राम गुलाटी	रक्षा लेखा नियंत्रक उत्तरी कमान, जम्मू	7-7-77
110.	सत्य प्रकाश गुप्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	16-7-77
111.	गुरबख्श सिंह रोसा	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना	28-7-77
112.	राम रंग बनरा	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	20-7-77
113.	के० के० राय चौधरी	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	14-7-77
114.	शिव दत्त शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ	29-8-77
115.	जी० नटेशन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता	11-7-77
116.	राज कुमार तलवार	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	4-7-77
117.	एन० वी० अर्धनारी	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) बम्बई	29-7-77
118.	रामदेव वर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	11-8-77
119.	प्रेम चन्द शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	4-7-77
120.	जोगिन्दर सिंह तलवार	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	28-7-77
121.	प्रेम सागर गुप्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	3-7-77
122.	शिव लाल कटियाल	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ	14-7-77
123.	चिरंजी लाल गुप्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना	31-7-77

1	2	3	4
124.	जे० एस० ए० सत्यनारायणन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	16-8-77
125.	गुरुचरन सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ	9-9-77
126.	जगदीश सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	29-8-77
127.	गोविन्द सहाय	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	21-8-77
128.	ए० मादास्वामी	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	26-8-77
129.	जी० सी० बेन	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	21-8-77
130.	डी० एल० खाडे	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज़) कलकत्ता	13-8-77
131.	हरि सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक , पटना	23-8-77
132.	लच्छा सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	18-8-77
133.	एस० सी० वर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज़) कलकत्ता	13-8-77
134.	टी० एम० कृष्णन	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज़) कलकत्ता	11-8-77
135.	दीवान रामधीमन	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून	11-9-77
136.	सतीश चन्द्र	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	23-9-77
137.	राम रत्तन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास	11-9-77

आर० वेंकट रत्नम
रक्षा लेखा उपमहानियंत्रक (प्रशा०)

श्रम मंत्रालय

कोयला खान नियंत्रक कल्याण संस्था

जगजीवन नगर, दिनांक मार्च 1978

सं० -प्रशासन 12(7)77—श्री ए० एस० सिंह सहायक कल्याण प्रशासक को दिनांक 8 नवम्बर, 1977 (पूर्वाह्न) से रु० 650–1200 के वेतनमान में कल्याण प्रशासक (परिवार कल्याण के पद पर पदोन्नति दी गई । वे दो साल की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे ।

श्री सिंह को कोयला खान कल्याण संस्था धनबाद के अन्तर्गत तैनात किया गया ।

यह दिनांक 11 जनवरी, 1978 के अधिसूचना संख्या प्रशासन 12(7)77 के सम-संख्यक ज्ञापन का अधिक्रमण करता है ।

एच० एच० कुरैशी,
अपर कोयला खान कल्याण आयुक्त,
धनबाद

उद्योग मंत्रालय

कार्यालय, विकास आयुक्त

(लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1978

सं० –12(69)/61—प्रशासन (राजपत्रित) –केन्द्रीय औज़ार डिजाइन संस्थान, हैदराबाद, में मुख्य निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे लघु उद्योग विकास सगठन के श्री पी० नरसियाह, निदेशक, को राष्ट्रपति जी दिनांक 31 अक्तूबर 1977 (अपराह्न) से निर्वतन की आयु प्राप्त कर लेने पर उन्हें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

वी० वेंकटरायलु,
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

लोहा और इस्पात नियंत्रण

कलकत्ता-20 दिनांक 30 मार्च 1978

सं० ई० I–1(5)/74—दिनांक 28 फरवरी, 1977 के समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए लोहा और इस्पात नियंत्रक एतद् द्वारा श्री रबीन्द्रलाल मित्र, को दिनांक 29 जून, 1971 से उप सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

ए० सी० चट्टोपाध्याय,
उप लोहा और इस्पात नियंत्रक,
कृते लोहा और इस्पात नियंत्रक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1978

सं० 5(80)/67-स्टाफ-1—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री एम० एन० बिश्वास, तदर्थ कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी,

कोहिमा को उस पद पर अस्थायी रूप से नियमित आधार पर 21 जुलाई, 1977 से अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं ।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 अप्रैल 1978

सं० ए–12026/5/78-स्था०—तकनीकी सहायक (विज्ञापन) के पद पर प्रतिवर्तन होने के परिणामस्वरूप सर्वश्री आर० के० भैंडवाल और भास्कर नायर ने 30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) से सहायक माध्यम कार्यपालक (तदर्थ) पद का कार्यभार त्याग किया ।

एस० के० श्रीनिवासन
वरिष्ठ कापी लेखक
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1978

सं० ए० 19019/13/77-के० स० स्वा० से०-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० एम० बी० सिंह को 6 फरवरी, 1978 पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद में आयुर्वेदिक फिजीशियन के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

एन० एस० भाटिया
उप निदेशक प्रशासन
के० स० स्वा० यो० ।

कार्यालय, मुख्य लेखा परीक्षक
(डाक-तार)

नई दिल्ली-110054, दिनांक 17 मार्च 1978

सं० O. प्रशासन-5/23 (ए०) (2) अधिसूचनाएं/898—मुख्य लेखा परीक्षक डाक-तार ने सहर्ष निम्नलिखित अनुभागाधिकारियों की पदोन्नति व उनकी लेखापरीक्षाधिकारियों पद पर नियुक्ति तथा उन्हें प्रत्येक के सामने उल्लिखित डाक-तार शाखा लेखा परीक्षा कार्यालयों में अगले आदेशों तक नियुक्ति किया है । उनकी पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर हैं और संशोधनाधीन हैं ।

क्रम सं०	नाम	डाक-तार शाखा लेखा परीक्षा कार्यालय जिससे अनुभाग अधिकारी सम्बन्धित हैं ।	डाक-तार शाखा लेखा परीक्षा कार्यालय जिसमें नियुक्त किया गया है	लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	एस० सी० भट्टाचार्जी	भंडार वर्कशाप तार जांच कलकत्ता	कटक	7-2-1978
2.	एन० जी० चक्रवर्ती	वही	लखनऊ	9-2-1978
3.	एस० के० दत्त	वही	पटना	8-2-1978
4.	माधवेंदु भौमिक	पटना	लखनऊ	6-2-1978
5.	एस० के० शर्मा	भोपाल	दिल्ली	10-2-1978
6.	पी० ए० खांडेकर	भंडार वर्कशाप तार जांच कलकत्ता	लखनऊ	31-1-1978

लक्ष्मी चन्द्र पाटनी
उप मुख्य लेखा परीक्षक

दिल्ली दुग्ध योजना

नई दिल्ली-8, दिनांक 31 मार्च 1978

सं० 3-56/76-स्थापना (विशेष)—श्री एम० पी०चटर्जी को श्री गणपत राय, वेतन और लेखा अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना के अवकाश रिक्ति में दिनांक 14 फरवरी, 1978 से 9 मार्च, 1978 तक 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में स्थानापन्न और लेखा नियुक्त अधिकारी दिल्ली दुग्ध योजना (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

सं० 3-11/77-स्थापना (विशेष)—श्री मोहिन्दर सिंह, सहायक प्रशासन अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना को दिनांक 24-10-77 से 14-4-78 तक केवल अस्थायी और तदर्थ आधार पर 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में दिल्ली दुग्ध योजना में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी, (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 1 अप्रैल 1978

सं० 3-24/77-स्थापना (विशेष)—श्री वासुदेव कोछड़, सहायक प्रशासन अधिकारी, दिल्ली दुग्ध योजना को दिनांक 16 मार्च, 1978 से 13 अप्रैल, 1978 तक केवल अस्थायी और तदर्थ आधार पर 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में दिल्ली दुग्ध योजना में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

जितेन्द्र कुमार अरोड़ा
अध्यक्ष

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400 085, दिनांक 23 फरवरी 1978

संदर्भ : पीए/79(6)/78-स्थाप० II/722—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री के० दामोदरन, आशुलिपिक (वरिष्ठ), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को नीचे लिखे अनुसार, इसी केन्द्र में, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड (रु० 650-960) में एक स्थानापन्न अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

(i) 30 जनवरी, 1978 पूर्वाह्न से 1 फरवरी, 1978 अपराह्न तक तदर्थ आधार पर ;

(ii) 2 फरवरी, 1978 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर ।

संदर्भ : 5/1/78-स्थाप०-II/723 —नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे बताई अवधि के लिए तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी II/ सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं : —

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि	
			से	तक
1.	श्री पी० सी० थामस सहायक लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी II	10-10-1977	9-12-1977
2.	श्री ए० फ० डी' सूजा सहायक लेखापाल	सहायक लेखा अधिकारी	8-8-1977	23-12-1977
3.	श्रीमती एस० आई० मेहरजी सहायक लेखापाल	सहायक लेखा अधिकारी	13-12-1977	21-1-1978

संदर्भ : पी० ए०/79(6)/78-स्थाप०-II/724—राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना से तबादला होने पर, श्री सी० स्टेफेन बालसुन्दरम् ने सी० डब्ल्यू एम० एफ० कलपक्कम (बी० ए० आर० सी०) में, दिनांक 21 जनवरी, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड (रु० 650-960) में स्थानापन्न रूप से एक अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया ।

दिनांक 4 मार्च 1978

संदर्भ सं० 5/1/77-स्थाप०-II/844—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री के० आर० सी० पिल्ले, सहायक को इसी अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 24 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से 22 नवम्बर, 1977 के अपराह्न तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 मार्च 1978

संदर्भ : सं० 5/1/78-स्थाप०II/991—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री के० आर० सी० पिल्ले, सहायक को इसी अनुसंधान केन्द्र में दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से 4 मार्च, 1978 के अपराह्न तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

पी० एस० वेंकटसुब्रामण्यम
उपस्थापना अधिकारी ।

परमाणु ऊर्जा विभाग

बुलन्दशहर (यू०पी), दिनांक 31 मार्च 1978

सं० एन० ए० पी० पी०/प्रशा०/III (83)/78-एस०-3139—नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी सहायक फोरमैन तथा नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानापन्न फोरमैन श्री गुरदयाल सिंह को 1 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उसी परियोजना म अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर नियुक्त करते हैं।

जी० जी० कुलकर्णी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी।

मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना

कलपक्कम 603 102, दिनांक 16 मार्च 1978

सं० एम० ए० पी० पी०/8(16)/77-प्रशा० /पी०-3370—विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक उक्त निदेशालय के एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सलैक्शन ग्रेड लिपिक श्री के० जी० बालचन्द्रन को 21 जनवरी, 1978 के पूर्वाह्न से 6 मार्च, 1978 के अपराह्न तक की अवधि के लिए मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति श्री एम० डी० राघवन के स्थान पर की गई है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए हैं।

के० बालकृष्णन्,
प्रशासन अधिकारी।

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद 500 016, दिनांक 24 मार्च 1978

सं० ए० एम० डी०-1/28/77-प्रशासन—परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक, श्री एस० चन्द्र शेखरन को 13 मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए उसी प्रभाग में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियरी, ग्रेड एस बी, नियुक्त करते हैं।

एस० रंगनाथन,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी।

अन्तरिक्ष विभाग

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

अहमदाबाद-380 053, दिनांक 20 फरवरी 1978

सं० अं० उ० के०/स्थापना/3-18/78—इस केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर, श्री एन० नारायण स्वामी, स्टेशन अधिकारी के सेवाएं दिनांक 1-2-78 से तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई है।

दिनांक 24 फरवरी 1978

सं० अं० उ० के० /स्थापना/सी० ए०/ए० ई० एस०/45/78—निदेशक, श्री अजय बोहरा को अन्तरिक्ष विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में इंजीनियर एस० बी० के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 31 जनवरी, 1978 से आगामी आदेश तक नियुक्ति करते हैं।

दिनांक 7 मार्च 1978

सं० अं० उ० के०/स्थापना/सी०ए०/एम० सी० एस० डी०/17/78—निदेशक, श्री बी० आर० भटनागर को अन्तरिक्ष विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में इंजीनियर एस० बी० के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

सं० अं० उ० के०/स्थापना/सी०ए०/ई० एफ० डी०/51/78—निदेशक, श्री एन० जे० शेलट को अन्तरिक्ष विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में इंजीनियर एस० बी० के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 13 जनवरी, 1978 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एस० जी० नायर,
प्रधान, कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

त्रिवेन्द्रम, दिनांक 3 मार्च 1978

सं० वि० सा० अं० के० / स्थापना / एन० टी० एफ० / 78 :—विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के निदेशक निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में वैज्ञानिक /इंजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप में रु० 650-30-740-35-880-दं० रो०-40-960 के वेतनमान में प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्रभाग/परियोजना	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री के० एस० अप्पू	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	एम० ई० टी०	31-12-77 (अपराह्न)
2.	श्री पी० सी० जार्ज	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	ई० एल० एस०	1-10-77
3.	श्री सी० जयकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	सी० ओ० एम०	31-12-77 (अपराह्न)

राजन बी० जार्ज
प्रशासन अधिकारी-II (स्थापना)
कृते निदेशक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 1 अप्रैल 1978

सं० ई (1) 07208 :—वेधशालाओं के महानिदेशक श्री देवीदास सिन्हा को भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी (केन्द्रीय सिविल सेवा, ग्रुप-बी) में 10 दिसम्बर 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री सिन्हा को निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता के अन्तर्गत मौसम केन्द्र गौहाटी में तैनात किया जाता है।

गुरुमुखराम गुप्ता,
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च, 1978

सं० ए० 32014/2/77-ई० सी० :—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित संचार सहायकों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से और अन्य आदेश होने तक सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है और उनके नाम के सामने दिए गए स्टेशनों पर तैनात किया है :—

क्रम सं०	नाम	मौजूदा तैनाती स्टेशन	स्टेशन जहां तैनात किया गया है	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री वी० के० ई० शर्मा	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई	वै० संचार स्टेशन, बंबई	21-2-78 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एम० सी० अंतानी	वही	वही	21-2-78 (पूर्वाह्न)
3.	श्री सतपाल सिंह	वै० संचार स्टेशन, पालम	वै० संचार स्टे०, सफदरजंग नई दिल्ली।	18-2-78 (पूर्वाह्न)
4.	श्री श्याम लाल	वै० संचार स्टे० नई दिल्ली	वै० संचार स्टेशन, नई दिल्ली	18-2-78 पूर्वाह्न
5.	श्री जे० एम० संधू	वै० संचार स्टेशन अमृतसर,	वै० संचार स्टेशन, नई दिल्ली	27-2-78 पूर्वाह्न
6.	श्री ए० सी० बोस	ना० वि० प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	ना० वि० प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद	21-2-78 पूर्वाह्न
7.	श्री श्री० जी० मखीजानी	वै० संचार स्टेशन, जयपुर	वै० संचार स्टेशन, सफदरजंग, नई दिल्ली	27-2-78 पूर्वाह्न

सत्यदेव शर्मा
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1978

सं० ए० 32013/6/76-ई एस:—इस कार्यालय की दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना सं० ए० 32013/6/76-ई एस (II) के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की वरिष्ठ विमान निरीक्षक के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति को छः मास की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

क्रम सं० नाम

1. श्री एस० एल० श्रीवास्तव
2. श्री एम० पी० मैथ्यू

दिनांक 3 अप्रैल 1978

सं० ए-32012/3/78-ई० एस०:—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री के० किशोर, सहायक सम्पदा प्रबंधक को दिनांक 9 मार्च, 1978 पूर्वाह्न से और अन्य आदेश होने तक क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, दिल्ली क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रुप 'ख' पद) के रूप में नियुक्त किया है।

सं० ए-32012/3/78-ई० एस०:—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री वी० के० तलवार, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रुप 'ख' पद), क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय दिल्ली ने दिनांक 28 फरवरी, 1978 पूर्वाह्न को सरकारी सेवा से निवृत होने पर अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सं० ए०-32012/3/78-ई० एस०:—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री आर० जी० सरकार को दिनांक 6 मार्च, 1978 पूर्वाह्न से और अन्य आदेश होने तक क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, कलकत्ता क्षेत्र में नियमित आधार पर प्रशासनिक अधिकारी (ग्रुप 'ख' पद) के रूप में नियुक्त किया है।

सुरजीत लाल खण्डपुर
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1978

सं० ए०-32013/4/77-ई० ए०:—राष्ट्रपति ने श्री एच० के० सचदेव, वरिष्ठ विमानक्षेत्र अधिकारी को 20 मार्च, 1978

से तथा अन्य आदेश होने तक, नागर विमानन विभाग के विमान विमान मार्ग और विमान क्षेत्र संगठन में स्थानापन्न रूप में उप-निदेशक/नियंत्रक विमानक्षेत्र के पद पर नियुक्त किया है। श्री सचदेव को नियंत्रक विमानक्षेत्र, कलकत्ता एयरपोर्ट, दमदम के पद पर तैनात किया जाता है।

विश्व विनोद जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क : बड़ौदा

बड़ौदा, दिनांक 19 दिसम्बर, 1977

सं० 12/77:—बड़ौदा समाहर्ता कार्यालय के मंडल आणंद स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा वर्ग 'ख' के अधीक्षक श्री पी० जी० त्रिवेदी दिनांक 30-11-77 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

कु० श्री दिलिपसिंहजी,
समाहर्ता

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 31 मार्च, 1978

सं० क-19012/681/77-प्रशा० पांच—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता की श्रेणी में स्थानापन्न रूप में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ रूप में रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में प्रत्येक अधिकारी के आगे दी गई तिथि से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं। इन्होंने उनके नाम के आगे दिये गये कार्यालयों में पद संभाल लिया है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम पद सहित	पदोन्नति की तिथि	कार्यालय का नाम जहां तैनात किए गए
1	2	3	4
1.	श्री पी० कुन्हामद पर्यवेक्षक	10-1-78 (पूर्वाह्न)	कोईम्बटूर, गेजिंग उप-प्रभाग, कोईम्बटूर
2.	श्री सतीश चन्द्र सिंघल पर्यवेक्षक	7-2-78 (पूर्वाह्न)	तिमाईमुख अन्वेषण प्रभाग सं०-2, इम्फाल
3.	श्री आर० के० अहूजा	21-12-77 (पूर्वाह्न)	सहिब अन्वेषण उप-प्रभाग सं० एक, फरीदाबाद।
4.	श्री जी० एस० राव	17-1-78 (पूर्वाह्न)	सूखा क्षेत्र अध्ययन उप-प्रभाग सं० एक, केन्द्रीय जल आयोग पूने।

जितेन्द्र कुमार राहा,
अवर सचिव

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 1978

सं० 1/273/69-ई० सी० 9:—इस विभाग के स्थानापन्न वरिष्ठ वास्तुक श्री वी० एम० प्रधान वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31-3-78 (अपराह्न) को सेवा-निवृत्त हो गए।

सं० 1/302/69-ई० सी० 9:—इस विभाग के स्थानापन्न सहायक वास्तुक श्री एम० जी० रिंगे वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31-3-78 (अपराह्न) को सेवा-निवृत्त हो गए।

कृष्ण कान्त,
प्रशासन उपनिदेशक

उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 1978

सं० 23:—भारतीय रेल इंजीनियरी विभाग उत्तर रेलवे के निम्नलिखित अधिकारियों को उत्तर रेलवे पर इसी विभाग में वर्ग-I वेतन मान रु० 700—1300 (आर० एस०) में प्रत्यक के सामने दी गई तारीख से स्थायी कर दिया गया है।

1. श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, मंडल अभियन्ता, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद।	22-11-74
2. श्री विजय कुमार, मंडल अभियन्ता, उत्तर रेलवे, जोधपुर	22-11-74
3. अनकण कृष्ण, प्रवर अभियन्ता, पुल लाइन-I, प्रधान कार्यालय।	22-11-74
4. श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रवर अभियन्ता, पुलकारखाना, उत्तर रेलवे, जलन्धर कैन्ट।	3-12-74
5. श्री राकेश चोपड़ा, सहायक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बनारस।	12-3-76
6. श्री बृज मोहन खेड़ा, सहायक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, फतेहपुर।	12-3-76

7. श्री पूर्ण लाल आहूजा, सहायक मंडल अभियन्ता, उ० रे० जोधपुर। 10-1-77

8. श्री प्रेम नारायण सिंह, सहायक अभियन्ता, उ० रे०, पठानकोट। 3-4-77

जी० एच० केसवानी,
महा प्रबन्धक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी विधि बोर्ड
रजिस्ट्रार आफ कम्पनी का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सत्यवति ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 23 मार्च 1978

सं० 4524/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि सत्यवति ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और एसनसियल नीडस एण्ड सपलाइस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 23 मार्च 1978

सं० 4691/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि एसनसियल नीडस एण्ड सपलाइस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेलूर बस सरवीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 23 मार्च 1978

सं० 4848/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि मेलूर बस सरवीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और श्री मुत्तुलक्ष्मी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 23 मार्च 1978

सं० 5017/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री मुत्तु लक्ष्मी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पेन्नगरम ट्रान्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 25 मार्च 1978

सं० 4656/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि पेन्नगरम ट्रान्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और राजेन्द्रन रोडवेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 25 मार्च 1978

सं० 5594/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि राजेन्द्रन रोडवेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

सी० अच्युतन,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मे० विजय प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 27 मार्च, 1978

सं० एस० उ० 628/7065(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि विजय प्रेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और के डाइमण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक, दिनांक 27 मार्च 1978

सं० एस० उ० 623/7066 (2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि डाईमण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

डी० के० पाल,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार,
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और सोम फाईनेन्स लकी स्कीम एन्ड चिट फन्डज कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालन्धर, दिनांक 29 मार्च 1978

सं० जी/स्टैट/78/560/2953—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सोम फाईनेन्स लकी स्कीम एन्ड चिट फन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और कपूर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 29 मार्च 1978

सं० जी०/स्टैट०/560/259—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि कपूर ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

"कम्पनी अधिनियम 1956 और लीडर फेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 29 मार्च 1978

सं० जी०/स्टैट०/560/3130—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर लीडर फेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी ।

जालंधर, दिनांक 29 मार्च 1978

सं० लिक्वी/14317—यतः एक्स सोलजरस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (लिक्वीडेशन) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय गांव-देवपुर जिला होशियारपुर में है, का परिसमापन किया जा रहा है ।

और यतः, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि कोई भी समापक कार्य नहीं कर रहा है ।

और यह कि कम्पनी का कार्यकलाप का पूर्णतया परिसमापन हो गया है । समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित लेखा विवरणियां (विवरणियां) छै क्रमवर्ती मास की अवधि नहीं दी गई है ।

अतः अब, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास का अवसान होने पर एक्स सोलजरस ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये जाने पर रजिस्ट्रार में से काट दिया जायेगा और कम्पनी को विघटित कर दिया जायेगा ।

सत्य प्रकाश तायल,
कम्पनी रजिस्ट्रार,
पं०, हि० प्र० व चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मसर्स ग्वालियर एजेन्सीज लिमिटेड के विषय में

ग्वालियर, दिनांक 22 मार्च 1978

सं० 346/1855—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स ग्वालियर एजेन्सीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई ।

जसराज बोहरा,
कम्पनी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और चन्डी ब्रादारस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 31 मार्च 1978

सं० 8564/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि चन्डी ब्रादारस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और देवेन्द्र मिल्स लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 31 मार्च 1978

सं० 12724/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि देवेन्द्र मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और टि० सेडेलस इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 31 मार्च 1978

सं० 29742/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि टि० सेडेलस इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

एस० सी० नाथ,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और साउगर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई को० लिमिटेड (समापन अन्तर्गत) के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 3 अप्रैल 1978

सं० एल०/7029/एच० डी०/1864—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आदरणीय उच्चन्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 2-6-77 के आदेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया है और राजकीय समापक, उच्चन्यायालय, कलकत्ता को उसका राजकीय समापक नियुक्त किया है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जबलपुर इलेक्ट्रिक सपलाई को० लिमिटेड (समापनअन्तर्गत) के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 3 अप्रैल 1978

सं० एल०/5285/एच०-डी०/1865—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 की उपधारा 2 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आदरणीय उच्चन्यायालय कलकत्ता ने दिनांक 2-6-77 के आदेशानुसार उपरोक्त कम्पनी के समापन का आदेश दिया है और राजकीय समापक, उच्चन्यायालय, कलकत्ता को उसका राजकीय समापक नियुक्त किया है ।

एन० एन० मौलिक,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1978

सं० को आर्डर/पब्लि/सी० आई० टी०-4/डी०/76-77/37938:—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 287 के अंतर्गत दिनांक 26-12-70 के भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश का अनुसरण करते हुए, जिसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, आयकर आयुक्त दिल्ली-4 उन निर्धारितियों के नामों तथा अन्य विवरणों को प्रकाशित करते हैं जिनके मामलों में वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान एक लाख रुपए से अधिक की आयकर की बकाया मांग को बट्टे खाते डाला गया था ।

(एक) में कई व्यक्ति की हैसियत का 'एक' हिन्दू अविभक्त परिवार का तथा 'सी' कम्पनी का सूचक है तथा (दो) में कर निर्धारण वर्ष (तीन) में बट्टे खाते डाली गई मांग (चार) में बट्टे खाते डालने के संक्षिप्त कारण बताए गए हैं ।

1. नारायण दास लक्ष्मी चन्द, क्लाथ मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली।

(एक) एच० (दो) 62-63 (तीन) 4,00,000 (चार) मांग को अशोध्य समझा गया ।

टिप्पणी:—किसी व्यक्ति से प्राप्त कर को बट्टे खाते डाल दिया गया है—इस कथन का अर्थ केवल यह है कि आयकर विभाग के विचार से प्रकाशन की तारीख को निर्धारिती की ज्ञात परिसंपत्तियों से उसे वसूल नहीं किया जा सकता । प्रकाशन का अर्थ यह नहीं है कि राशि कानूनन अशोध्य है या निर्धारिती प्रसंगाधीन राशि की अदायगी करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है ।

ए० जे० राणा,
आयकर आयुक्त, दिल्ली-4
नई दिल्ली

कार्यालय आयकर अपील अधिकरण

बम्बई-400020, दिनांक 30 मार्च 1978

सं० एफ० 48-एडी/एटी०/1978:— श्री बाई० बालसुब्रमनियम, अधीक्षक, आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई, जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में छह महीने के लिए अर्थात् 1-9-1977 से 28-2-1978 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी (देखिये, इस कार्यालय के दिनांक 6 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48-एडी /एटी)/77 को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में और छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 1-3-1978 से 31-8-1978 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री बाई० बालसुब्रमनियम को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उन के द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी ।

2. श्री एस० बी० नारायणन वरिष्ठ आशुलिपिक, आय-कर अपील अधिकरण, हैदराबाद न्यायपीठ, हैदराबाद, जिन्हें तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कलकत्ता, न्यायपीठ, कलकत्ता में दिनांक 1-9-1977 से 28-2-1978 तक स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गयी थी [देखिये], इस कार्यालय के दिनांक 6 अक्तूबर, 1977 की अधिसूचना क्रमांक एफ० 48-एडी (एटी)/77] को उसी क्षमता में तदर्थ आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर आय-कर अपील अधिकरण, कलकत्ता न्यायपीठ, कलकत्ता में और छह महीने के लिए अर्थात् दिनांक 1-3-1978 से 31-8-1978 तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती । जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री एस० बी० नारायणन् को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिगणित की जायगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी ।

पी० डी० माथुर, अध्यक्ष

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 अप्रैल 1978

निदेश सं० 38/ अग०/ 1977 :—यतः, मुझे ए० टी० गोविन्दन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 117/3 है, जो पल्लपट्टी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सेलम (पत्र सं० 865/77) म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 22-8-77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एस० आर० अर्जुनन (2) वी० माणिक्कम
(अन्तरक)

(2) श्री पी० माणिक्कम नाडार
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सेलम जिल्ला, पल्लपट्टी गांव एस० सं० 117/3 म 1.20 एकड़ खेती की भूमि।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 6-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड रोहतक

रोहतक, दिनांक 6 अप्रैल 1978

निदेश सं० अम्बाला/4/ 77-78 :—अत:, मुझे रवीन्द्र कुमार पठानिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० कोठी नं० 5 माडल टाउन है तथा जो अम्बाला में शहर स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री परदुमन लाल सोबर्ता पुत्र श्री कृष्ण गोपाल निवासी मकान नं० 8-आर० माडल टाउन, करनाल ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी बलदेव राज
2. श्री बलदेव राज
3. श्री परवीन कुमार } पुत्रगण श्री राम प्रकाश
चटकारा निवासी मुस्तफाबाद तह० जगाधरी, जिला, अम्बाला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोठी नं० 5 क्षेत्रफल 780.55 वर्गगज जो के माडल टाउन अम्बाला शहर में स्थित है ।

"सम्पत्ति जैसे के रजिस्ट्रेशन नं० 2257 में दी गई है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में 8-8-1977 को लिखी गई" ।

रवीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 6-4-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड रोहतक

रोहतक, दिनांक 5 अप्रैल 1978

निदेश सं० गुड़गांव / 11/77-78 :—अतः, मुझे रवीन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि 64 कनाल 4 मरला है तथा जो चोमा तहि व जिला गुड़गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गांव में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गिरधारी पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी गुड़गांव तहि व जिला गुड़गांव

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री रतन लाल , पिरथी सिंह, टेक चन्द, पुत्रान श्री नेत राम सुदर्शन सिंह, सुरिन्द्र सिंह पुत्रान श्री रतन लाल निवासी गांव डुन्डाहेरा तहि व जिला गुड़गांव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 64 कनाल 4 मरला है और गांव चोमा तहि० व जिला गुड़गांव में स्थित है।

"सम्पत्ति जैसे के रजिस्ट्रेशन नं० 1833 में दी है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में 5-9-1977 को लिखी गई ।

रविन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 5-4-1978
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड रोहतक

रोहतक, दिनांक 5 अप्रैल 1978

निदेश सं० सी० एच० डी०/83/73-74 —अतः मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं०मकान नं० 528 सैक्टर 18-बी० जिस पर अनैकसी बनी है तथा जो चंडीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चंडीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० के० बवेजा पुत्र श्री कन्हैया लाल, कुर्ता (हिन्दु संयुक्त परिवार) निवासी एस०-258, पंचशील पार्क नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री प्रकाश चन्द, हरीश चन्द्र तथा कृष्ण चन्द्र, पुत्रान श्री विशाल नारायण सभी निवासी मकान नं० 522, सैक्टर 18-बी० चंडीगढ़

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनैकसी जोकि फ्रीहोल्ड प्लाट रकबा 1000.30 वर्गगज पर बनी है और जिसका नं० 528, सैक्टर 18-बी० चण्डीगढ़ में स्थित है ।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता चण्डीगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 1061, तिथि 9-1-1978 पर दर्ज है) ।

रवीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 5-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 5 अप्रैल 1678

निदेश सं० के एन एल/42/77-78 :—अतः, मुझे रविन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी
सं० भूमि तथा बिलडिंग (3114 वर्गगज) है तथा जो जी०टी०रोड करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) 1. सर्वश्री हरभजन सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रान श्री करतार सिंह
2 श्रीमति स्वर्ण कौर पत्नी श्री करतार सिंह
3. श्री संत सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह
4. श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री चंचल सिंह
5. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री शाम सिंह सभी मार्फत सुरजीत सिंह आईस फैक्टरी जी० टी० रोड करनाल।

(अन्तरक)

(2) मै० न्यू करनाल ट्रैक्टरज, करनाल मार्फत श्री जतिन्द्र पाल, न्यू करनाल ट्रैक्टरज, करनाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट तथा बिल्डिंग जिसका रकबा 3114 वर्गगज है और जोकि जी० टी० रोड़ करनाल पर स्थित है।

सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 3745 तिथि 26-8-77 पर दर्ज है।

रविन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 5-4-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 5 अप्रैल 1978

निदेश सं० करनाल / 49/77-78 —अतः, मुझे रविन्द्र कुमार पठानिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और

जिसकी सं० एस० सी० ओ० नं० 21 सैक्टर-26, है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (i) श्री कर्म चन्द्र पुत्र श्री रूप चन्द, मकान नं० 276/3, मोहल्ला शाहवाली, कैथल ।

(ii) श्री एस०के० भंडारी पुत्र श्री हंस राज भंडारी, निवासी मकान नं० 639, सैक्टर 16-डी०, चण्डीगढ़

(अन्तरक)

2 (i) श्री सुरिन्द्र सिंह पटवासिया पुत्र श्री हरनाम सिंह पटवालिया ।

(ii) श्रीमति मंजीत कौर पत्नी, श्री सविन्द्र सिंह पटवालिया ।

(iii) श्री वरिन्द्र कौर पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह सभी निवासी मकान नं० 85, सैक्टर 10-ए० चण्डीगढ़

(अन्तरिती)

3. (i) मैं० अपोलो रायरज लिमिटेड

(ii) मैं० विलयर्ड बैटरीज इण्डिया लि०

(iii) मैं० पाहवा प्रिन्टरज

(iv) मैं० बलभ गलास वर्क्स लि०

(v) करन्ट ला० जनरल

(vi) मैं० कर्मचन्द भापड़ एण्ड सन्स ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति नं० ए० सी० ओ० 21, सैक्टर 26, चण्डीगढ़ जिसमें बेसमैंट ग्राउंड फ्लोर तथा पहली मंजिल बनी है और जिसका जमीन का रकबा 762.96 वर्गगज है ।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता चंण्डीगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 528 तिथि 12-8-77 पर अंकित है) ।

रबीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 5-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-IV, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 मार्च 1978

निदेश सं० ए०सि०-38/अर्जन रेंज-IV/ कल०/77-78 :—

अतः मुझे, पी० पी० सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० पी० 27 है, तथा जो सि० आई० टि० स्कीम सं० IV एम० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-8-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री प्रदीप कुमार आर्या

(अन्तरक)

(2) श्री गौरी शंकर मोदि तथा श्री सत्यनारायण मोदि

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रेमिसेस सं० पी०-27 का पश्चीम हिस्सा, सि० आई० टि० स्कीम सं० IV एम० कलकत्ता, खाली जमीन, पश्चिम-2 कट्ठा 15 छटाक।

पी० पी० सिंह,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज IV, कलकत्ता

तारीख : 27-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-IV, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 मार्च 1978

निदेश सं० ए० सि० -39/अर्जन रें०-IV/कल०/77-78—अतः, मुझे पी०पी० सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० पी० 27 है तथा जो सि० आई० टी० स्कीम सं०-IV एम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-8-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;।

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रबी कुमार आर्या

(अन्तरक)

(2) श्री किषन कुमार मोदि तथा श्री शिव कुमार मोदि

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रेमिसेस सं० पी० 27 का पूर्व हिस्सा, सि० आई० टी० स्कीम सं० 4 एम०, कलकत्ता, खाली जमीन, परिमाप-2 कट्ठा 15 छटांक।

पी० पी० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-IV, कलकत्ता

तारीख : 27-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू० / 1/एस० आर०-III/'II अगस्त -1 (17) / 77-78 / 6263 :—अत:, मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जे०-III/7 है, तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-8-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगमोहन टुटेजा, सुपुत्र श्री मनूरम टुटेजा, निवासी 9/52, न्यू डब्ल स्टोरी, लाजपत नगर-4 नई दिल्ली-1

(अन्तरक)

(2) श्री शान्ती स्वरूप, सुपुत्र स्वर्गीय लाला मनचंद राय तथा श्रीमती मीना स्वरूप, पत्नी श्री शान्ती स्वरूप निवासी जे०-7, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-24।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला बिल्डिंग जोकि 183 वर्गगज क्षेत्रफल के प्लाट पर बनी हुई है, जिसका नं० जे०-7 है, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सर्विस लेन

पश्चिम : रोड़

उत्तर : प्लाट नं० 8 पर मकान

दक्षिण : प्लाट नं० 6 पर मकान

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 4-4-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, दिल्ली- 1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/ I /एस० आर० -III/ 141/सितम्बर -11 (6)/ 77-78/ 6681:—अतः, मुझे जे० एस० गिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० -139 है तथा जो ग्रेटर कैलाश -II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-9-1977 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शीला देवी, पत्नी श्री जगन नाथ, निवासी एफ० 10/10, कृष्ण नगर, दिल्ली। लेकिन अब सी० 33, पंचशील एनकलैव, नई दिल्ली है। इनके अटारनी श्री हतीन्द्र कुमार भल्ला के द्वारा, सुपुत्र श्री मनोहर लाल भल्ला, निवासी - सी० -33, पंचशील एनकलैव, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अमृत कौर, पत्नी श्री अमरजीत सिंह, निवासी एस०-495, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका नं० एस० -139 है और क्षेत्रफल 298 वर्गगज है, निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली दिल्ली नगर निगम के राजस्व ईस्टेट, बाहापुर गाँव में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़

पश्चिम : सर्विस लेन।

उत्तर : मकान नं० एस०-137

दक्षिण : प्लाट नं० एस० -141।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 4-4-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 दिल्ली -1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यु० / 1 / एस० आर०-III/85/ जुलाई, -1 (5)/ 77-78 / 6281 :—अतः, मुझे जे० एस० गिल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० आर० -229 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-7-1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती ऊषा कोहली, पत्नी श्री एस० डी० कोहली, निवासी ए०-1/70-71, लाजपत नगर, नई दिल्ली । (अन्तरक)

(2) श्री हरी कृष्ण सरीन, सुपुत्र श्री त्रिलोक चन्द तथा श्रीमती तृप्ता सरीन, पत्नी श्री हरी कृष्ण सरीन, निवासी 11-सी०/29, लाजपत नगर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल 208 वर्गगज है और नं० आर०-229 है, निवासी कालोनी ग्रेटर कैलाश -1, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सर्विस लेन
पश्चिम : रोड़
उत्तर : प्लाट नं० आर०-227 पर मकान
दक्षिण : प्लाट नं० 231 पर मकान

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण).
अर्जन रेंज 1, दिल्ली , नई दिल्ली-1

तारीख : 4-4-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 29 मार्च 1978

सं० 640 :—यतः, मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० 13-109 है, जो राजमन्द्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय, राजमन्द्री में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-8-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० अय्युतरामय्या (2) के० परवस्तु दासरधि (3) के० सैमित्री परवस्तु (4) टि० सोभा कुमारी (5) जि० वैधेट्टी (6) के० कौसल्या कुमारी (7) के० सुमित्रा, (8) के० अजय परवस्तु नर्सापुर (अन्तरक)

(2) श्री जि० वीरा वेंकटा सत्यनारायण राजमन्द्री (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राजमन्द्री रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-8-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2858/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 29-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 31 मार्च, 1978

सं० 641 :—यतः, मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 13/5 ए है, जो तनुकु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तनुकु में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-8-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या यों किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री वि० सूर्याराव वलिवेशु

(अन्तरक)

(2) श्री जि० वेंकटारंगम, जि० अम्मानि, काकरपरु

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तनकु रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31-8-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2148/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 31-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 5 अप्रैल 78

निर्देश सं० ए० 177/ गौ/ 78-79/1708-13 :—अतः मुझे एगबर्ट सिंग
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी दाग सं० 2698 और के० पि० पत्ता सं० 416 है तथा जो सहर गौहाटि मौजा उलुवरि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गौहाटी म, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-8-77 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती उमा गुहा स्वारगिए बिरजा संकर गुहा की पत्नी।
2. श्री अलोक संकर गुहा, स्वारगिए बिरजा संकर गुहा का पुत्र, 12-रिजेन्ट इस्टेट, कलकत्ता-32।
3 श्री भासकर संकर गुहा, स्वारगिए बिरजा संकर गुहा का पुत्र, 52 निम्की लेन, मेलोर, बलाकवरन लंकासतर, ईङ्लेन्द।
4 श्री रुपाल संकर गुहा, स्वारगिए बिरजा संकर गुहा का पुत्र, 98 एलिसिया गारदेन केनतन हारोह इण्डलेन्द
5 श्रीमती अलता अहमद स्वारगिए बिरजा संकर गुहा का पुत्री 87/ जे० पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता -16, केर आफ बि० एस० गुहा, एदभोकेत पांनबाजार गोहाटि।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रदीप चन्द्र टालुकदार, श्री गोलक चन्द्र टालुकदार का पुत्र रानीबारि, पान बाजार, गौहाटि।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन के परिमाप 16.3/4 लेचा जो सहर गौहाटि मौजा उलुवरि जो कि पान बाजार गौहाटि, जिला कामरूप, आसाम में स्थित है।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 5-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 5 अप्रैल 78

निर्देश सं० ए० 178/गौ०/78-79/1716-21 :—अतः, मुझे एगबर्ट सिंग

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 2694 के० पि० पत्ता सं० 416 है, तथा जो सहर गौहाटि मौजा उलुबारि गौहाटि (आसाम) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटि में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-8-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्रीमती उमा गुहा स्वार्टगिए बिरजा संकर गुहा का पत्नी,

2. श्री अलोक संकर गुहा, स्वागिए बिरजा सकर गुहा का पुत्र, 12, रिजेन्त इस्टेट, कलकत्ता-32

3. श्री भास्कर संकर गुहा, स्वारगिए बिरजा संकर गुहा का पुत्र, 52-निस्की लेन, मेलोर ब्लाकबरन लंकासतर, ईंडलेन्द।

4. श्री रुपाल संकर गुहा, स्वारगिए बिरजा संकर गुहा का पुत्र, 98- अलिसिया गारदेन, केनतोन हारोह मिदल सेक्स, ईंडलैन्द।

5 श्रीमती अलता अहमद स्वारगिए बिरजा संकर गुहा की पुत्री 87/जे, पार्क स्थित, कलकत्ता, 16 केअर आफ बि० एस० गुहा, एदभोकेत पान बाजार, गौहाटि।

(अन्तरक)

(2) श्री जोतिश चन्द्र तालुकदार श्री गोलक चन्द्र तालुकदार का पुत्र रानीबारि पानबाजार, गौहाटि।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन के परिमाप 16.3/4 लेचा जो सहर गौहाटि मौजा उलुबारि जो कि पान बाजार गौहाटि जिला कामरूप (आसाम) में स्थित है।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 5-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 5 अप्रैल, 78

निर्देश सं० ए० 179/गौ०/78-79/1724-27:—अत: मुझे एगबर्ट सिंग

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० दाग सं० 280 और 289 के० पि० पत्ता सं० 57 है तथा जो गांव दिसपुर मौजा मेलटोला, गौहाटि (आसाम) में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गौहाटि में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-8-77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हेमा शंकर सरमा, स्वारगिए गोलक चन्द्र का पुत्र, प्रिंसिपल जे० बरुवा रोड, चेनिकोटि, गौहाटि।
(अन्तरक)

(2) 1. श्री सत्यनारायन अग्रवाला,
2 श्री श्रीप्रकाश अग्रवाला
3 श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाला सब श्री भगवानदास अग्रवाला का पुत्र, बडाबारि, दिबरुगढ़।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमिन के परिमाप 3 काता 6 लेचा जो दिसपुर गांव मौजा मेलटोला जो कि दिसपुर, गौहाटि जिला कामरूप (आसाम) में स्थित है।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 5-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़-580004, दिनांक 28 मार्च 78

निर्देश सं० 213/77-78/ अर्जन :—यतः, मुझे डि० सि० राजगोपालन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मुनिसिपल नं० 3-11-21 है, जो बाजार ओरमान गंज यादगिर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, यादगिर अंडर डाकुमेंट नं० 1011 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-10-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नागभूषण शरणप्पा चटनसिक, यादगिर, गुलबर्गा जिला।

(अन्तरक)

(2) श्री कांतिलाल सरूपचन्द गांधी, मैसर्स सरूप चन्द प्रभुलाल कमिसेन एजेंट, यादगिर, गुलबर्गा, जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थनिक आरनी एक दुकान गोडाऊन और खुला मैदान उमा गंज का यहां पर है। मुनिसिपल का नं० 3-11-21 यादगिर।

डि० सि० राजगोपालन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 28/3/78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 दिसम्बर 1977

निदेश सं० पी० आर०-538 एक्यु० 23-972/14-9/77-78 :—यतः, मुझे एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 7100 पैकी, शीट नं० 67 सेन्सस नं० 6/10/47 है, तथा जो गंज बाजार उन्झा (नार्थ गुजरात) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उन्झा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-8-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में तात्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957) का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए?

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मेहता भोगीलाल मोरतराम (स्वर्गीय) एच० यू० एफ० कर्त्ता, श्यामसुन्दर भोगीलाल भालवाड़ा उन्झा ।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल जयन्तीलाल जोरदास उनावापारा, नषधर, उन्झा (उत्तर गुजरात)

(अन्तरिती)

(3) मै० एच० पुरुषोत्तम एण्ड कं०
(यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन में कोई भी आक्षेप ।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति जिसका सं० नं० 7100 (पैकी) शीट नं० 67 सेन्सस नं० 6/10/47 तथा कुल माप 175-58-73 वर्ग मीटर है तथा जो गांव बाजार उन्झा (उत्तर गुजरात) में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उन्झा के अगस्त, 1977 के रजिस्ट्रीकर्त्ता विलेख नं. 491 में प्रदर्शित है ।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 19-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 दिसम्बर 1977

निर्देश सं० पी० आर०-539/ ए० सी० वयु० 23-972/ 14-9/77-78 :—यतः, मुझे एस० सी० परीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 7100 (पैकी) शीट नं० 67 सेन्सस नं० 6/10/43 है, तथा जो गंज बाजार, उन्झा (उत्तर गुजरात) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उन्झा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-8-1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री मेहता भोगीलाल मीरतराम (स्वर्गीय) एच० यू० एफ० के कर्ता: श्री श्यामसुन्दर भोगीलाल भारवाड़ा, उन्झा।

(अन्तरक)

(2) श्री पटेल रामजीभाई जोरदास उनाकापारा, नवधर, उन्झा (उत्तर गुजरात)।

(अन्तरिती)

(3) मैं० एच० परशोत्तम एण्ड कं० गंज बाजार, उन्झा (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति जिसका सं० नं० 7100 (पैकी) शीट नं० 67 सेन्सस नं० 6/10/43 तथा कुल माप 75-25-43 वर्ग गज है तथा जो गंज बाजार उन्झा (उत्तर गुजरात) में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी उन्झा के अगस्त, 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 492 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

तारीख : 19-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9 मार्च, 78

निदेश सं० ए० सी० क्यू० -23-I-1387 (638)/11-4/77-78 :—यतः, मुझे एस० सी० पारीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एम० नं० 11-4-79, सिटी सर्वे वार्ड नं० 3, एम० नं० 3177-78 है, जो महात्मा गांधी रोड़, पोरबन्दर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पोरबन्दर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-8-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मैसर्स नैशनल पैट्रोलियम कं० पोरबन्दर की ओर से भागीदार :—

1. श्री नाथालाल गोकलदास
2. श्री नानाजी कालीदास
3. श्री रामजी लाधाभाई
4. श्री गोकल दास लाधा भाई
5. श्री छगनलाल लाधाभाई
6. श्री रतीलाल लाधाभाई
7. श्री चत्रभुज लाधाभाई
8. श्री यूसुफ अली मूसाजी
9. श्री अकबर अली मूसाजी
10. श्री अबदुल हुसेन मूसाजी,
11. श्री हुसेन अली रहेमतुला
12. श्री जमना दास करमन
13. श्री विनोद राय ओधवजी,
14. लखमशी करसन, स्वयं तथा अन्य सभी भागीदारों का पावर आंफ एटारनी होल्डर । (अन्तरक)

(2) मैसर्स कोठारी एण्ड कं०श्रीनाथ जी की हवेली के पास, पोरबन्दर । (अन्तरिती)

(4) 1. श्री हरीदास भगवानजीभाई ताजावाला
2. श्री कांतीलाल भगवानजी भाई ताजावाला , (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग गज है तथा जिसका एम० नं० 11-4-79 , सिटी, सर्वे वार्ड नं० 3, एस० नं० 3177-78 है, तथा जो महात्मा गांधी रोड पर पोरबन्दर में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 4-8-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 1684 में दिया गया है।

एम० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 9-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 अप्रैल 78

निदेश सं० ए० सी० क्यु० -23-1-1327(644)/1-1/77-78 :—यतः मुझे एस० सी० पारीख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी सर्वे नं० 4221, पैकी सब प्लाट नं० 23, शाहपुर वार्ड -2 है, जो खानपुर रोड, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स स्वास्तीक लैंड कारपोरेशन की ओर से भागीदार :—

1. श्री रमणलाल केशवलाल चोकसी ।
2 श्री शांतीलाल केशवलाल चोकसी ।
3 श्री नानू भाई केशवलाल चोकसी, रतनपोल नाका, अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) खानपुर फ्लैट्स को० ओप० हाउसिंग सोसायटी लि०, की ओर से सेक्रेटरी :—
श्री सुरेश जे० शाह खानपुर, रोड, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 512.6 वर्गगज है तथा जिसका सिटी सर्वे नं० 4221 (पैकी) सब प्लाट नं० 2-बी० शाहपुर, वार्ड-II, तथा जो खानपुर रोड, अहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 31-8-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 2747, में दिया गया है :

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 3-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1

अहमदाबाद, दिनांक 3 अप्रैल, 1978

निदेश सं० ए० सी० क्यु० 23-I-1331 (645)/1-1/77-78 :—यतः, मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 4221, सब प्लाट नं० 2 ए०, शाहपुर वार्ड-II है, जो खानपुर रोड, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तिरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स एस्टेरलिंग एन्टरप्राइजेज की ओर से भागीदार श्री बसंतकुमार बनवारी लाल मिनीता एपार्टमेंट नवरंगपुरा, अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) खानपुर फिलैट्स को० ओप० हाउसिंग सोसायटी लि० की ओर से सेक्रेटरी :—
श्री सुरेश जे० शाह खानपुर, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 513 वर्ग गज है तथा जिसका सिटी सर्वे नं० 4221, सब प्लाट नं० 2-ए०, शाहपुर वार्ड-2, अहमदाबाद है तथा जिसका पूर्ण वर्णन 31-8-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 5716 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 3-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1,

अहमदाबाद, दिनांक 3 अप्रैल, 1978

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1481 (646) 5-1/77-78 :—यतः, मुझे एस० सी० परीख, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है**

और जिसकी सं० नया सी० एस० भावनगर वार्ड-7, शीट नं० 169, नोंध नं० 1569-1560, प्लाट नं० 12-ए है, जो मरचंट पार्क, मगीराजवाडी के पास, पील गारीडन के पास, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अगस्त, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स सोहिलराज कंस्ट्रक्शन, निरमलनगर, भावनगर

(अन्तरक)

(2) श्री कांतीलाल गुलाब चन्द शाह, आरटीफीशयल ज्यूरी मरचंट, 41-मोटा मंदिर, तीसरा बोईवाडा, पहली मंजिल, भूलेश्वर, बम्बई-4।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध **किसी अन्य व्यक्ति** द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जो 247 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका प्लाट नं० 12-ए०, न्यू सिटी सर्वे नं० भावनगर वार्ड नं० 7, शीट नं० 169-नोंध नं० 1569 तथा 1560 है तथा जो मरचंट पार्क, मलेवाडी के पास, पील गारडिन के पीछे, भावनगर में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण वर्णन अगस्त, 1977 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 946 में दिया गया है।

एस० सी० परीख

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 3-4-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 1978

निदेश सं० ए० पी० -1764 :—यतः, मुझे, बी० एस०, दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो माडल टाऊन, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) डाक्टर जसवंत सिंह पुत्र श्री बिक्रम सिंह टी० बी० हस्पताल पटियाला (जी० ए० श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह)।

(अन्तरक)

(2) श्री इन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रत्न चन्द कोठी नं० 324-माडल टाऊन, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी जैसा कि विलेख नं० 3218 अगस्त, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 1978

निदेश सं० ए० पी० -1765—अतः, मुझे, बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो माडल टाऊन जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) डाक्टर जसवंत सिंह पुत्र श्री बिक्रम सिंह टी० बी० हस्पताल, पटियाला (जी० ए० श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह) ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुमीत्रा देवी पत्नी श्री इन्द्र प्रकाश, श्री मदन लाल , सुभाष चन्द्र तथा धर्म वीर पुत्र श्री इन्द्र प्रकाश 324- माडल टाऊन, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोठी जैसा कि विलेख नं० 4377 अक्तूबर, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 78

निदेश नं० ए० पी० -1766 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है है जो शहीद उधम सिंह नगर (जालन्धर) में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम; की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) आजाद नकोदर बस सर्विस (प्रा०) लिमिटेड हैड आफिस, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री सतीश कुमार विनोद कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, आटारी, बाजार, जालन्धर,

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 3049 अगस्त, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालधर

तारीख : 4-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 1978

निदेश नं० ए० पी०-1767:—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो मोता सिंह नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दी० प्रताप को० आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरशेर सिंह, नरशेर सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह, 696-माडल टाउन, जालन्धर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (यह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट मोता सिंह नगर, जालन्धर जैसा कि विलेख नं० 3556 अगस्त, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल, 1978

निदेश नं० ए० पी० -1768 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो मोता सिंह नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) दी प्रताप को०- आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लिमिटेड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती पत्तवन्त कौर विधवा गुरनाम सिंह 2. सुनीमार कौर पुत्री श्री गुरनाम सिंह, 696-माडल टाउन, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट मोता सिंह नगर, जालन्धर जैसा कि विलेख नं० 3557 अगस्त, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 1978

निदेश नं० ए० पी० - 1769:—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो मोता सिंह नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) दी प्रताप को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाईटी लिमिटेड, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री रजीन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, 2. सतीन्द्र जीत कौर पत्नी श्री नरशेर सिंह, 696-माडल टाउन, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट मोता सिंह नगर, जालन्धर जैसा कि विलेख नं० 3965 सितम्बर, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर, कार्यालय

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल, 1978

निदेश नं॰ ए॰ पी॰-1770:—यतः, मुझे बी॰ एस॰ दहिया **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में है है तथा जो दानी रामदा, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977 **को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह 2. करमजीत सिंह (माइनर) द्वारा श्री महीन्द्र सिंह (पिता) निवासी बस्ती दानीशमंदा, जालन्धर ।

(अन्तरक)

(2) मै॰ आल राउण्ड सर्पोर्टस (द्वारा शंकर दास) बस्ती नौ, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं॰ 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन जैसा कि विलेख नं॰ 3368 अगस्त, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है ।

बी॰ एस॰ दहिया
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 78

निदेश नं० ए० पी०-1771 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो न्यू जवाहर नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अगस्त, 1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमिल कुमार खुलर 2, अशोक कुमार खुलर पुत्र श्री राम गोपाल खुलर, 37-ग्रीन पार्क, जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्री वेद प्रकाश पासी पुत्र श्री दिवान चन्द 2. हीरा जगदीश कमल 3. शिव शक्ति पुत्र श्री वेद प्रकाश 184, न्यू जवाहर नगर, जालन्धर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 3021 अगस्त, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 अप्रैल 78

निदेश नं० ए० पी०-1772 :—यतः, मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो इण्डस्ट्रीयल एरिया, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सवर्ण लाल मलहोत्रा पुत्र श्री बिन्दरा वन मलहोत्रा ए-62, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जालन्धर
(अन्तरक)

(2) श्री नरीन्द्र सिंह, 23- शक्ति नगर, जालन्धर ।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जयदाद जैसा कि विलेख नं० 3930 सितम्बर, 77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4-4-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 मार्च, 1978

निर्देश सं० राज० / सहा० आ० अर्जन / 390 :—यतः, मुझे एम० पी० वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० हिन्द इण्डस्ट्रीज है तथा जो खैरथल मंडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलवर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31 अगस्त, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महेश चन्द, ओम प्रकाश एवं श्रीमति प्रभावती देवी महाजन, निवासी स्कीम नं० 2, अलवर।
(अन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र भौरे लाल निवासी अलवर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हिन्द इण्डस्ट्रीज नामक सम्पत्ति का भाग जो मंडी खैरथल जिला अलवर में स्थित है और जिला पंजियक, अलवर द्वारा क्रम संख्या 8/77 पर दिनांक 31-8-77 को पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 16-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 मार्च, 1978

निर्देश संख्या राज०/सहा० आ०/अर्जन/391—यतः, मुझे, एम० पी० वशिष्ठ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० हिन्द इण्डस्ट्रीज है तथा जो खैरथल मंडी में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलवर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31 अगस्त, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री महेश चन्द्र, ओम प्रकाश एवं श्रीमति प्रभाती देवी, महाजन, निवासी स्कीम नं० 2, अलवर।
(अन्तरक)

(2) श्री विजय कुमार पुत्र निरंजन लाल महाजन, खैरथल तहसील किशनगढ़ (अलवर)।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हिन्द इण्डस्ट्रीज नामक सम्पत्ति में से हिस्सा जो मंडी खैरथल जिला अलवर में स्थित है और जिला पंजियक, अलवर द्वारा क्रम संख्या 7/77 दिनांक 31-8-77 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 16 मार्च, 1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 18 मार्च, 1978

निर्देश संख्या राज० / सहा० आयुक्त अर्जन/ 392 :—यतः, मुझे, एम० पी० वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है।

और जिसकी सं० बी० 337 है, तथा जो जनता कालोनी, जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4 जुलाई, 1977।

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाश चन्द संचेती स्वयं एवं कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार पुत्र कपूर चन्द जैन ओसवाल, जनता कालोनी, जयपुर प्लाट नं० बी० 337।

(अन्तरक)

(2) श्री मदन लाल पुत्र नाथूलाल, विजय वर्गीय रास्ता विजय जुड़िया हवेली, बोम्बेवालां, गली सीताराम, जयपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० बी० -337, जनता कालोनी, जयपुर पर स्थित मकान सम्पत्ति, जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1173 दिनांक 4-7-77 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 18-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 30 मार्च 78

निर्देश संख्या राज०/ सहा० आ० अर्जन/ 393 —यतः, मुझे एम० पी० वशिष्ठ
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अमलोई में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजसमन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1 जुलाई, 1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मण सिंह, पुत्र डूंगर सिंह पुत्र भंवर लाल करणावत द्वारा सम्पत आटोमोबाइल्स, पांचबत्ती, उदयपुर। (अन्तरक)

(2) श्री दलपत सिंह पुत्र वगत सिंह एवं भंवर सिंह पुत्र शिव सिंह राव, ग्राम कालोडिया तह० गिरवा, जिला उदयपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

21 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि जो ग्राम अमलोई तहसील राजनगर जिला अलवर में स्थित है और उप पंजियक, राजसमंद-जिला अलवर द्वारा क्रम संख्या 337 दिनांक 1-7-77 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 30-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 30 मार्च 1978

निर्देश सं० राज०/ सहा० आ० अर्जन/ 394 —यतः, मुझे, एम० पी० वशिष्ठ
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अमलोई में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजसमंद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1 जुलाई, 1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री भंवर लाल पुत्र हीरा लाल करनावत, एडवोकेट राजनगर, जिला उदयपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री दलपत सिंह पुत्र बगत सिंह एवं भंवर सिंह पुत्र शिवसिंह राव निवासी कालोडिया तह० गिरवा जिला उदयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

12 बीघा 9 बिस्वा ग्राम अमलोई तह० राजनगर, जिला उदयपुर जो उप पंजीयक राजसमंद जिला उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 338 दिनांक 1-7-77 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 30-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 30 मार्च 1978

निर्देश संख्या राज०/ सहा० आयुक्त अर्जन / 395 ——यतः, मुझे एम० पी० वशिष्ठ
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो अमलोई मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजसमन्द मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 अगस्त, 1977।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:——

(1) श्री दरियाव सिंह पुत्र श्री भंवरलाल करनावट निवासी तहसील राजगढ़ वर्तमान निवासी मोगरवाडी, निकट गुलाब बाग, उदयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री भैरु सिंह, पुत्र वगत सिंह एवं माधोसिंह पुत्र दलपत सिंह (नाबालिग) संरक्षक श्री दलपत सिंह पुत्र श्री वगत सिंह राव, निवासी कालोडिया तहसील गिरवा, उदयपुर/ या ग्राम अमलोई तह० राजनगर, जिला उदयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

22 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि, ग्राम अमलोई तह० राजनगर जिला उदयपुर जो उप पंजियक, राजसमन्द जिला उदयपुर द्वारा क्रम संख्या 383 दिनांक 10-8-77 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र मे और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 30 मार्च, 78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 13 फरवरी 1978

निर्देश सं० सी० ए० 5/कल्यान/ सप्टम्बर-77/ 350 :—यतः, मुझे, श्रीमती पी० ललवानी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० स० क्र० 49 प्लॉट क्र० 10 है तथा जो डोंबिवली (थाना) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलयान में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-9-1977 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन. निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सविताबाई देवसी पटेल माणिकलाल अस्टेट, घाटकोपर, बंबई -86　　(अन्तरक)

(2) श्री नरेश को०-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, गोपालनगर, डोंबिवली (पूर्व)　　(अन्तरिती)

(3) 1. श्रीमती शारदाबेन व्ही० चौहान
2 श्रीमती विनोदराणी एस० वर्मा
3 श्री सदाशिव आर० पोतदार
4 श्री शिवाजी एम० शिंदे
5 श्री ए० यू० मेनन
6 श्री रतीकांत बी० बागकर
7. डा० विनोद कुमार बी० राबटे
8 श्री दिवाकर ग्रे० भावे
9 श्री जयवंत बी० आगवने
10 श्रीमती शैलजा व्ही० आपरेकर
11 श्री जी० एम० लट्टू
12 श्रीमती एम० के० पावसे
13. श्री व्ही० आर० शिवराजन्
14 श्री सी० डब्ल्यू० परांजपे
15. श्रीमती के० लक्ष्मी श्रीनिवासन
16 श्री यशवंत बी० बाऊसकर
17 श्री शिवराम डी० पाटिल
18 श्री मोहन पी० वर्तक
19 श्री केशव बी० सुर्वे
20 श्रीमती कांताबेन एल० ढक्कर

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी सं० क्र० 49, प्लांट क्र 10—जमीन और इसके उपर मकान जो गजबंधन पाथार्डी कल्यान, जिसाह थाना मे स्थित है।

क्षेत्रफल : 543.63 वर्ग मीटर्स

[जैसे कि रजिस्कृत विलेख क्र० 512, दि० 1-9-77 को सब रजिस्ट्रार कल्याण के दफ्तर में लिखा है]।

श्रीमती पी० ललवानी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 13-2-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना-411004

पूना-411004, दिनांक 27 मार्च 1978

निर्देश सं० सी० ए० 5/सावदा/ जुलै० 77/ 353--यतः, मुझे, स्वामी आनंद बोधीसत्व

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० क्र० गट 854, स० क्र० 232/3 है, तथा जो सावदा, जि० जलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सावदा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-7-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्।—

(1) 1 श्रीमती नर्मदाबाई रामदास पाटील क्र 1,3,5, पोस्ट सावदे, जि० जलगाव
2. श्रीमती मालती पंटरीनाथ चौधरी, क्र० 2, सिरोदे, जि० जलगाव
3. श्रीमती बेंबी यादवराव चौधरी क्र० 4 व्हीवी, जि० जलगांव
4. श्रीमती कुसुदिनी जयराम गाजरे क्र० 6 अंजली जिला जलगांव
5. श्रीमती सुमन पुरुषोत्तम महाजन
6 श्रीमती रजनी दिनकर पाटील (अन्तरक)

(2) 1. श्री विश्वनाथ सुपुत्र जावके।
2 श्री प्रभाकर सुपुत्र जावके। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेत जमीन ग क्र० 854, सावदे, जि० जलगाव।

क्षेत्रफल : 1 हे० 28 आर० और कुए का पानी लेने का अधिकार।

(जैसे कि रजिस्कृत विलेख क्र० 466 सब रजिस्ट्रार सावदे के दावरमे लिखा है)।

स्वामी आनन्द बोधीसत्व
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना-411002

तारीख : 27-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 22 फरवरी 1978

सं० आर० ए० सी० 235/ 77-78 —यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आधा बाग 16/112 है, जो ट्रांकरास्ता नेलूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नेलूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-7-77 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वेनलगनटी सीता भानुमतम्मा पति स्वर्गीय सुसीनारादव राउ घर नं० 7/149 रीडुपेटा मसुलीपटनम

(अन्तरक)

(2) श्री चीन्नी सुब्बाराय (2) चीन्नी सुब्बकृष्णनमूर्ति मैनर इसका नीगरानी कारपितास्त्री जीन्नी सुब्बाराय आन्ध्रा डिस्ट्रीब्यूटरस और कम्पनी ट्रनक रास्ता नेलूर के हवार है।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर का आधा भाग नं० 16/112 ट्रनक रास्ता नेलूर में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1624/77 रजिस्ट्री कार्यालय, नेलूर में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 22-2-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी०-241/77-78 —यत:, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 9-95 है, जो दरमापुरी जगजोयाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगतीयाल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रेनुकुनटा कानतय्या पिता सायबय्या कीराना कुजीनेस धरमापुरी जगतीयाल तालूक करीमनगर जिला।

(अन्तरक)

(2) श्री जोनाला राजय्या (2) जे० अनजय्या (3) जे० रामय्या (4) जे० लशमय्या इन सबके पिता जे० नारायना मनमेला गउ जगतीयाल तालुक करीमनगर जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 9-95 धरमापुरी गउ जगतीयाल तालूक करीमनगर जिला रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1882/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय जगतीयाल में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी० नं० 242/ 77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 10-1-5 है, जो गान्धी रास्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चीतूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० राजा रेड्डी (2) श्रीमती वी० ललीता कुमारी वलीरेड्डी गउ चन्द्रागिरि तालूका चीतूर। (अन्तरक)

(2) श्री वी० सुरेन्द्रा बाबु (2) श्रीमती सौदामीनी घर नं० 10-3-4 शीशदराउ गली चीतूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 10-1-5 गांधी रास्ता चीतूर में रजिट्री दस्तावेज नं० 6156/77 उप रजिस्ट्री कार्यालय चीतूर में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च, 1978

सं० आर० ए० सी० 243/77-78 —यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है', की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11-3-862 है, जो मलापली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, केरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 77 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती हुजोस्तीबानु पति जलोरीदीनकान घर नं० 12-1-575 सैयदअलीगुडा हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री महमदयाहुला पिता काजा मोईनीदीन सिविल इंजीनियर पी० बी० नं० 624 दीलाकातर घर नं० 18-5-424 लालदरवाजा हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 11-3-862 मलेपली हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1796/67 उपरजिस्ट्रार कैरताबाद मे

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी० नं० 244/77-78 —यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4-5-30 है, जो सुलतान बाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री केतचे सामबय्या (2) के० धेंगदीशवर (3) श्रीमती के० अन्नापूर्णा घर नं० 4-2-502/1 सुलतान बाजार हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री माउजी भाई पिता कीमजी (2) टीकारसी पिता मुलजी भाई रुपम ड्रेसस सुलतान बाजार हैदराबाद में है।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 4-5-30 पहली मंजिल घर सुलतान बाजार में हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1972/77 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में है।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 78

सं० आर० ए० सी० नं० 245/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4-5-31-40 है, जो सुलतान बाजार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 77।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कोनज सामनय्या (2) के० जगदीश्वर (3) श्रीमती के० अन्नापूर्णा घर नं० 4-2-502 सुलतान बाजार, हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री माउजी बाई (2) टोकारसी रूपम ड्रेसर्स के पाटनर है 4-5-40 सुलतान बाजार हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर का जमीन का सता घर नं० 4-5-31 और 4-5-40 सुलतान बाजार हैदराबाद में है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2044/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी० 246/77-78 :—यतः, मुझे, के०एस० वेंकटरामन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 142/5 है, जो पेनडरगस्ट रास्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-7-77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रमीलाकांतीमल (2) ए० एस० जैकुमार इसका अदीपति प्रमीला श्रीनिवास राउ घर नं० 11 चीतरनचेन रास्ता मद्रास -11 ।
(अन्तरक)

(2) श्री प्रवीन चन्द्रा (2) राजेन्द्राकुमार (3) अशोक कुमार (4) भारत कुमार इन सबका पिता जेमानादास है 148 हैदरबस्ती, सिकन्दराबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 5 घर नं० 142 पेनडरगस्ट रास्ता सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1138/77 उप रजिस्ट्रार सिकन्दराबाद मे ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 78

सं० नं० 247/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 24 है, तथा जो एस० डी० रास्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स यूनाईटिड बिल्डर्स उसका मयाने जीनग पार्टनर (1) श्री सुनदरमल (2) प्रहलाद राय (3) उमराउमल घर नं० 1.21-2-772 नं० 2.21-2-635 पटेलमार्केट हैदराबाद नं० 3.21-6-741 जेलपुरा हैदराबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जेलम पिता वेनकटामय्या घर नं० 2-5-109 रामगोजाल पेट, सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

शाप नं० 24 घर का जमीन का तला घर नं० 1-7-27 ता० 34 और 1-7-206 ता० 228 महात्मागांधी रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० पी० -161/77 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च, 78

नं० 248/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 100 ए० है, जो श्रीनगर कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्री पोनाका प्रसन्ना कुमार रेड्डी
2. पोनाका ज्योतिशन दोनों के अधिकारी श्री पी० आर० गोपाल कृष्णन रेड्डी है घर नं० 4-1-917 तीलक रास्ता हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री डाक्टर जे० सत्यानारयणना 8-3-965 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट नं० 100-ए० श्रीनगर कालोनी हैदराबाद खरीदी गई है दस्तावेज नं० 1845/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी० नं० 249/77-78 :—यतः, मुझे, के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 8-3-865 है, जो श्रीनगर कालोनी में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 29-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्री पोनका प्रसन्ना कुमार रेड्डी (2) पोनका ज्योतिष्णा दोनों रहती है और उनका अधिकारी पी० आर० गोपाला कृष्ण रेड्डी है नं० 4-1-917 तीलक रास्ता हैदराबाद।

(अन्तरक)

(2) कुमारी जे० लक्ष्मी हेमलता श्री जे० सत्यनारायणना के द्वारा घर नं० 8-3-965 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 8-3-965 श्रीनगर कालोनी हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1848/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 78

सं० आर० ए० सी० नं० 250/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 4055 वर्गयार्ड है, जो कामारेड्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कामारेड्डी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-7-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री के० भास्कर राय पिता के० लक्ष्मण राव राजन के पास नागपुर रास्ता के पास कामारेड्डी नैजामाबाद जिला।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० डी० पटेल और कम्पनी नागपुर रास्ता कामारेड्डी नैजामाबाद जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन प्लाट नं० 95,96, 94, 105 और 107 जुमता विस्तृत 36500 वर्गफीट इन्द्रानगर कालोनी कामारेड्डी नैजामाबाद जिला रजिस्ट्री कार्यालय कामारेड्डी और दस्तावेज नं० 3986/77

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी० नं० 251/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० विस्तृत 35000 वर्गफीट है, तथा जो कामारेड्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कामारेड्डी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० भास्कर राय पिता के० लक्ष्मण राय नागपुर रास्ता कामारेड्डी नैजामाबाद

(अन्तरक)

(2) श्री लक्ष्मीसा मील नागपुर रास्ता कामारेड्डी नैजामाबाद जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कुल जमीन के नं० 97, 98, 99, 102, 103, विस्तृत 35000 वर्गफीट और नं० 100 और 101, इन्दरानगर कालोनी कामारेड्डी नैजामाबाद जिला दस्तावेज नं० 3995/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय कामारेड्डी

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 78

सं० आर० ए० सी० 252/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 52 है, जो अबीद शापिंग सेन्टर में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मिस गुलशन बजाज घर नं० 21/बी सूरज सिंह पार्क नई दिल्ली श्री सरदार दलजीत सिंह के द्वारा घर नं० 1/ए, जनपत नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मेहरुनिसा बेगम घर नं० 6-1-268 कैरताबाद, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 52 (जमीकतल) घर नं० 5-8-517/52 श्रीरागली लेन आबीद शापिंग सेन्टर हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1881/77 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 13 मार्च 1978

सं० आर० ए० सी० नं० 253 /77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० आफिस नं० 234 है, जो चन्द्रलोक कम्पलेक्स सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) स्वातिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जयामाला रेड्डी घर नं० 252/1 यारेडपली सिकन्दराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

आफिस का नं० 234 दूसरा मंजिला घर है चन्द्रलोक कम्पलेक्स 111 एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1212/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 13-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1978

सं० नं० 254/77-78 —यतः, मुझे, के० एस० वेंकट-रामन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5-9-12 है, जो सैफाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 77 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री पोनकल जगन मोहन रेड्डी (2) अजीतकुमार, (3) डा० जै राम चेनचेनहम (4) डी० गौतम पीनगर 5-9-12 सैफाबाद हैदराबाद

(अन्तरक)

2. (1) श्री जे० सत्यानारायण वर्मा, कुम्पाली बारासता हाकिम पेट सिकन्दराबाद (2) श्री रामचन्द्र वर्मा, कुम्पाली बारासता हाकिम पेट सिकन्दराबाद, (3) श्री बी० रामालिंगा राजू, जीडी मितला सिकन्दराबाद, (4) श्री बी० रामाराजू जीडीमिलतला सिकन्दराबाद, (5) श्री के० राजामराजू (6) श्री के० विजया मालाप्पा, सिरीवानी गरेपस, गार्डन, जी० डी० में तला सिकदराबाद (7) श्री० के० वेंकटा रामाराजू (8) श्री के० रामाकृष्णन राजू,
केसवाराम वैस्ट गोदावरी डिस्ट्रिवट, धन्नजे होटलज प्रावेइट लिमिटेड 5-9-12, सैफाबाद हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० एम० 5-9-12, जो सैफाबाद हैदराबाद में स्थित है और जोकि लुबनी गार्डन के नाम से जाना जाता है और जिसके अन्दर तीन मंजिलें है और जोकि डोक नं० 1829/77 जायंत सब रजिस्ट्रार हैदराबाद के पास रजिस्टर्ड हुआ था।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 13-3-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 1978

सं० नं० 255/77-78 :—यतः, मुझे, के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10-5-1/2 बी० है, जो मासाबदेनक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 श्री एम० बी० राजाराउ 311-2 अराटी हैदराबाद
2 ए० बी० एन० वेंकटप्रसाद श्रीकरयेंस के पास केरला
3 एम० बी० प्रेमनाथ श्रीनिवास प्रसाद
4 एम० बी० पदमावती पति राजाराउ
5 एम० बी० इन्दीरा पिता राजा राउ
6 कुमारी जयाश्री पिता राजा राउ
7. श्रीमती ए० शारदा पति ए० जयारामाचेन्द्रा
(अन्तरक)

(2) 1 महमदेअब्दुल रहमान अमीमा शहीन केछार आणापूरा हैदराबाद।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 10-5-1/2 बी० मासाबटेनक हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1841/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 78

सं० 256/77-78 :—यतः, मुझे, के० एस० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10-5-1/20 है, जो मासाबदेनक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री एम० बी० राजाराउ 311-2 आर० टी० पीयेस नगर हैदराबाद (2) प्रेम बी० ने वेनकटप्रसाद केराला (3) ए० बी० प्रेमनाथ श्रीनिवास प्रशाद (4) एम० बी० पदमावती पति राजा राउ (5) एम० बी० दीनदीरा (6) कुमारी जयाश्री सीता राजाराउ (7) श्रीमती येशरादा बेंगलूर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अमीना शहीन स्त्री एम० अबदुल रहमान 11-2-550 आग्रापुरा हैदराबाद,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 10-5-1/2 सी० मासाब डनक—हैदराबाद—रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1843/77 उपरजिस्ट्रीकार्यालय, कैरताबाद।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 78

सं० 257/ 77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 10-1-19/3 जी० एफ० है, जो सैफाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-7-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हुमायुनयारखान श्रीमती सबरुन्नीसाबेगम के द्वारा घर नं० 6-3-109 सोमाजी गुडा हैदराबाद (अन्तरक)

(2) श्रीमती कमरजान बेगम पति एम० ए० बेगम प्रलोदस्तल इस्टेट मुनार पोस्ट केरला (अन्तरिती)

(3) जी० पी० पीतमबरराउ (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त व्यक्ति स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर का जमीन का सता घर नं० 10-1-19/3 सैफाबाद, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1810/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय कैरताबाद।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 मार्च 78

सं० 258/77-78 :—यतः, मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5-3-314 ता० 317 है, जो गोशमहल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती कुदोस्या कानम घर नं० 3-2-280 मोती मार्केट हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अदीबा सुलताना पति महमद अबदुल रशीद 3-2-280 मोती मारकीट हैदराबाद

(अन्तरिती)

(3) 1. सत्याप्रिया कम्पनी (2) रमेश सैकाल 5-3-316 हैदराबाद।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मलगी नं० 5-3-314 ता० 317 गोशामहल हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 1876/77 उपरजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1
4/14क, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु० 1/एस० आर०-111/82 जुलाई-1 (10) / 77-78 :—अतः, मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ई०-314 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-7-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को यावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) डा० बनवारी लाल नरुला, सुपुत्र श्री बाबू राम नरुला, निवासी 1048, बाजार सीता राम, दिल्ली-110006 (अन्तरक)

(2) श्री चम्मन लाल गुलाटी, सुपुत्र श्री सागर चन्द निवासी एस०-235, ग्रेटर कैलाश-I नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल 250 वर्गगज है और नं० ई०-314 है, निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली के बाहपुर गांव, दिल्ली नगर निगम की यूनियन टैरीटरी के अन्तर्गत निम्न प्रकार से स्थित है।

पूर्व : प्लाट नं० ई०-312
पश्चिम : प्लाट नं० ई०-316
उत्तर : रोड़
दक्षिण : सर्विस लेन

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 11-4-1978
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

भू-विज्ञानी परीक्षा, 1978

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1978

सं० एफ० 4/6/77-ई० 1 (बी०) :—भारत के राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1978 में इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित पद वर्गों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचिन, कटक, दिल्ली, दिसपुर, (गोहाटी), हैदराबाद, जयपुर जम्मू, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, शिलांग, शिमला, श्रीनगर तथा त्रिवेन्द्रम में 22 अगस्त, 1978 से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा की समय-सारणी तथा स्थान अथवा स्थानों के बारे में सूचित किया जाएगा (देखिए अनुबन्ध पैरा II)।

2. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिन पद-वर्गों के लिए भर्ती की जानी है वे तथा विभिन्न पदों पर रिक्तियों की निकटतम संख्याएं नीचे दी जाती हैं :—

वर्ग I : (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, इस्पात और खान मंत्रालय के पद)।

(i) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ), ग्रुप "क"

175 (अ० जा० के० उम्मीदवारों के लिए 1 तथा अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए 2 आरक्षित रिक्तियां सम्मिलित है)।

(ii) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप "ख"..... *

वर्ग II : (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के पद)।

(1) कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी ग्रुप "क"..... *

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी, ग्रुप 'ख' 8 (इनमें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 2 रिक्तियां तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार के लिए 2 रिक्तियां सम्मिलित है)।

*रिक्तियां सरकार द्वारा सूचित नहीं की गई हैं।

उपर्युक्त संस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रारंभ में नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होने पर उम्मीदवार अपने क्रमानुसार स्थायी रूप से नियुक्ति के पात्र होंगे।

3. उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित सभी या किसी एक पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है। उसे केवल उसी पद / उन्हीं पदों के लिए उम्मीदवार माना जाएगा जिसके / जिनके लिए वह आवेदन करेगा। एक बार आवेदन-पत्र भेजे जाने के बाद सामान्यतः किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक वर्ग के पदों के उम्मीदवार की हैसियत से प्रवेश पाना चाहता हो तो भी उसे एक ही आवेदन-पत्र भेजने की आवश्यकता है। नीचे पैरा 6 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक बार देना होगा, उस प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग नहीं जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्रों में उन पदों का स्पष्टतया उल्लेख करें जिन पर वे वरीयता क्रम में विचार किए जाने के इच्छुक हों।

4. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवेदन करना चाहिए। निर्धारित आवेदन-प्रपत्र तथा परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण दो रुपये देकर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली (110011) को मनीआर्डर द्वारा या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए। मनीआर्डर/ पोस्टल आर्डर के स्थान पर चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये आवेदन-प्रपत्र आयोग के काउंटर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। दो रुपये की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भू-विज्ञानी परीक्षा, 1978 के लिए निर्धारित मुद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। भू-विज्ञानी परीक्षा, 1978 के लिए निर्धारित आवेदन-प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर भरे हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. भरा हुआ आवेदन-पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली -110011 के पास 5 जून, 1978 (19 जून, 1978 से पहले की किसी तारीख से विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में 5 जून, 1978) तक या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवार से आयोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह 5 जून, 1978 से पहले की किसी तारीख से विदेशों में या अंडमान या निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रह रहा था।

6. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ आयोग को रु० 48.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 12.00) का शुल्क भेजना होगा जो कि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित स्टेट बैंक आफ़ इंडिया पर देय स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि यह "051 लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के लेखाशीर्ष में जमा हो जाये और आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिये।

जिन आवेदन-पत्रों में उक्त आपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी उन्हें एक दम अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता जो नीचे के पैरा 7 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क में छूट चाहते हैं।

7. आयोग यदि चाहे तो, उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक या तो 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तानी (अब बंगला देश) से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है या वर्मा से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है या वह श्रीलंका से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है जो अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है और निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

8. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं किया गया हो तो उसे रु० 30.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 8.00) की राशि वापस कर दी जाएगी। किन्तु यदि नियम 7 के नीचे नोट 1 की शर्तों के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार का आवेदन-पत्र यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह अर्हक परीक्षा में असफल रहा है अथवा वह उपर्युक्त नोट के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अन्यथा पालन नहीं कर सकेगा तो वह शुल्क वापसी का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त उपबन्धों को छोड़ कर अन्य किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

9 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदावरों की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

आर० एम० गोयल,
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग।

अनुबंध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र भी हैं या नहीं, निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी 1 को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए। सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. उम्मीदवार को आवेदन-प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिए। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोकता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको इस परीक्षा म अंतिम रूप में प्रवेश पाने के पहले अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वे अपने आवेदन-पत्र को, उसके अंत में संलग्न प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां निकाल कर, आयोग में सीधे भेज दें और प्रमाण-पत्र की उन प्रतियों को तत्काल अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करें कि उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति विधिवत् भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को जल्दी से जल्दी और किसी भी हालत में प्रमाण-पत्र के फार्म म निर्दिष्ट तारीख से पहले भेज दी जाए।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख अवश्य भेजने चाहिए :—

(i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए इंडियन पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट या शुल्क माफी हेतु दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति (देखिए : नोटिस का पैरा 6 और 7 और नीचे पैरा 6)।

(ii) आयु के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(iii) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(iv) उम्मीदवार के हाल ही के पास पोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां ।

(v) जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित /प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नीचे पैरा 4) ।

(vi) जहां लागू हो वहां आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए, नीचे पैरा 5) ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ उपर्युक्त मद (ii), (iii), (v), और (vi) में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों की केवल प्रतियां ही प्रस्तुत करनी हैं जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों । लिखित परीक्षा के परिणाम संभवतः अक्तूबर, 1978 में घोषित किए जाएंगे । जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें उपर्युक्त प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे । उन्हें अपने मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखने चाहिए । जो उम्मीदवार उस समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनका आगे विचार किए जाने का दावा स्वीकार नहीं होगा ।

उपर्युक्त मद (i) से (iv) तक में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण नीचे दिए गए हैं और मद (v) और (vi) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण पैरा 4 और 5 में दिए गए हैं :—

(i) (क) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित इंडियन पोस्टल आर्डर :—प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित होना चाहिए और उस पर "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय" लिखा जाना चाहिए ।

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विकसित या कटे फटे पोस्टल, आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिए ।

उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किए गए हों और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय हों, उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है ।

(क) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा से प्राप्त किया जाए और वह सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में देय हो तथा विधिवत् रेखांकित किया गया हो ।

किसी अन्य बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विरूपित या कटे फटे बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

(ii) आयु का प्रमाण पत्र:—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचारित मैट्रिक पास छात्रों के रजिस्टर के उद्धरण में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जिस उम्मीदवार ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है ।

अनुदेशों में इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र के वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं ।

कभी कभी मट्रिकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण-पत्र में अन्य की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए ।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन अनुदेशों में निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है । उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म की तारीख से भिन्न हो और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन-पत्र रद्द किया जा सकता है ।

टिप्पणी 1 :—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से सम्बन्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिये।

टिप्पणी 2 :—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी अगली परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जायेगी।

(iii) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र:—उम्मीदवार को एक ऐसे प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिये जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 7 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा निकाय) का होना चाहिये जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की हो। यदि ऐसे प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि न भेजी जाये तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिये और अपेक्षित योग्यता से सम्बन्ध अपने दावे के प्रमाण-पत्र में किसी अन्य प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिये। आयोग इस साक्ष्य पर उसकी गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा, किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।

टिप्पणी:—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्तें पूरी करते हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जायेगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 31 अक्तूबर, 1978 से पहले प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

(iv) फोटो की दो प्रतियां:—उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 से० मी० के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां भेजनी चाहिये। इनमें से एक प्रति आवेदन-प्रपत्र पर चिपका देनी चाहिए और दूसरी प्रति आवेदन-पत्र के साथ अच्छी तरह नत्थी कर देनी चाहिये। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये।

ध्यान दें:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ ऊपर पैरा 3 (ii), 3(iii) और 3(iv) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक संलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई प्रमाण-पत्र आदि आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गये हों तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिये और वे (ऊपर पैरा 3(iii) के नोट 1 में उल्लिखित स्थिति को छोड़कर) हर हालत में आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अन्तिम तारीख से एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जाने चाहियें। यदि ऐसा किया गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

4. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप-मण्डल अधिकारी या किसी अन्य ऐसे अधिकारी से जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, जिसे सम्बद्ध राज्य सरकार से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो, नीचे दिए गये फार्म में प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिये जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता है।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*—————————————सुपुत्र/ सुपुत्री* श्री———————— जो गांव/कस्बा*——————जिला/मंडल*—————— राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र———————के/की* निवासी हैं, ——————————जाति/जन*जाति के/की* हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित* जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है:—

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950*, संविधान (अनुसूचित जन जातियां) अप्रैल, 1950* संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जन जातियां (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*,

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956।*

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां (संशोधन), अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (अण्डमान और निकोबार-द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जातियां, आदेश, 1959।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962।*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां, आदेश, 1962।*

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964।*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।*

संविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968।*

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968।*

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970।*

2. श्री/श्रीमती/कुमारी* ———————— और/या* उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा*—————— ——————जिला/मंडल*,—————— राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र ——————में रहते/रहती* हैं।

हस्ताक्षर——————

**पदनाम ——————

स्थान—————— (कार्यालय की मोहर सहित)

तारीख——————

राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

टिप्पणी:—यहां प्रयुक्त आम तौर से रहते/रहती हैं वाक्यांश का अर्थ वही होगा जो 'रिप्रैजेंटेशन आफ दि पीपुल एक्ट, 1950' की धारा 20 में है।

**जातियां/जन जातियां प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ताल्लुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव/मजिस्ट्रैट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। (†प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर, लक्षद्वीप।

5. (i) नियम 6 (ग) (ii) या 6(ग) (iii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है:—

(1) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित राहत शिविरों के कैम्प कमांडेंट।

(2) उस क्षेत्र का जिला मैजिस्ट्रेट, जहां वह इस समय निवास कर रहा है।

(3) अपने अपने जिलों में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

(4) स्वयं प्रभारित सब डिवीजन का सब डिवीजनल अफसर।

(5) उप-शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक (पुनर्वास), कलकत्ता।

(ii) नियम 6(ग) (iv) अथवा 6(ग) (v) के अन्तर्गत निर्धारित आयु में छूट का दावा करने वाले और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छूट का दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय

से लिये गये इस आशय के प्रमाण पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964, के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है।

(iii) नियम 6(ग) (vii) अथवा 6 (ग) (viii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 7 के अधीन शुल्क से छूट का दावा करने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को भारतीय राजदूतावास, रंगून द्वारा दिये गये पहिचान प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मजिस्ट्रेट से लिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है।

(iv) नियम 6(ग) (vi) के अन्तर्गत आयु में छूट चाहने वाले कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया से प्रव्रजन कर आये हुए या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हुए उम्मीदवार को उस क्षेत्र के है, जिला मजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है, लिये गये प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से प्रव्रजन कर आया है।

(v) नियम 6(ग) (ix) अथवा 6 (ग) (x) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महा-निदेशक, पुनः स्थापन, रक्षा मंत्रालय, से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट————————के रैंक नं०————————श्री————————रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र* में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर ————————
पदनाम ————————
दिनांक ————————

*जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें।

(vi) नियम 6 (ग) (xi) अथवा 6(ग) (xii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को, जो सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है महानिदेशक सीमा सुरक्षा दल, गृह मंत्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट————————के रैंक नं०————————सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए सन् 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप नियुक्त हुए।

हस्ताक्षर ————————
पदनाम ————————
तारीख ————————

(vii) नियम 6 (ग) (xiii) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाणपत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिये कि वह वियतनाम से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है।

(vii) नियम 6(ग) (xiv) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को (i) निरोधक प्राधिकारी से उनकी मुहर लगे प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये जिसमें यह लिखा हो कि उक्त उम्मीदवार आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध हुआ था या (ii) जिस उप मंडल मैजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में वह इलाका आता हो उसके प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिये जिसमें लिखा हो कि उम्मीदवार भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार या कैद हुआ था और जिसमें वे तारीखें विनिर्दिष्ट हों, जिनके बीच वह गिरफ्तार या कैद रहा था तथा जिसमें प्रमाणित हो कि निरोध या गिरफ्तारी या कैद, जैसी भी स्थिति हो, उम्मीदवार के राजनैतिक संबंधों या कार्यकलापों या तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों से उसके संबंध रखने के अनुसरण में थी।

6. जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5(i), (ii) और (iii) में से किसी भी वर्ग से सम्बद्ध है तथा नोटिस के पैरा 7 के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करता है, उसकी किसी जिला अधिकारी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के सदस्य से, यह दिखलाने के लिये कि

वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

7. जिस व्यक्ति के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) या कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

8. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई झूठा ब्यौरा न दें अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं।

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें न उसमें परिवर्तन करें और न कोई फेर बदल करें और न ही कोई फेर-बदल किए गए/झूठे प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि ऐसे दो या इससे अधिक प्रलेखों या उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

9. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-प्रपत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-पत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि आवेदन प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

10. यदि उक्त परीक्षा से सम्बद्ध आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख से एक महीने के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती की सूचना न मिले तो उसे पावती सूचना प्राप्त करने के लिये आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिये।

11. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिये उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिये। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जायेगा।

12. जिन पुस्तिकाओं में नियमावली तथा पिछली पांच परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का ब्यौरा सम्मिलित होता है, उनकी बिक्री प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 के द्वारा की जाती है और उन्हें वहां से मेल आर्डर अथवा नकद भुगतान द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने एम्पोरिया बिल्डिंग, "सी" ब्लाक, बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ii) प्रकाशन शाखा के बिक्री काउन्टर, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 और कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्ली-110011 और (iii) गवर्नमेंट आफ इंडिया बुक डिपो, 8 के० एस० राय रोड, कलकत्ता-1, से भी केवल नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

13. आवेदन-पत्रों से संबद्ध पत्र-व्यवहार :—आवेदन-पत्रों से सम्बद्ध सभी पत्र आदि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाएं तथा उनमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाए :—

(i) परीक्षा का नाम

(ii) परीक्षा का महीना और वर्ष

(iii) उम्मीदवार का रोल नम्बर अथवा जन्म की तारीख, यदि रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया है।

(iv) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)

(v) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता।

ध्यान दें :—जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभवतः उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

14. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 13 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ, यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 31st March 1978

SUBJECT—*SUMMER VACATION*—1978

F. No. 44/78-SCA(G).—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended) the Hon'ble Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, the 8th May, 1978 to Sunday, the 16th July 1978 (both days inclusive) and will re-open of Monday, the 17th July, 1978.

Under Rule 6, of Order II of the aforesaid Rules, the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint the Hon'ble Mr. Justice R. S. Sarkaria and the Hon'ble Mr. Justice N. L. Untwalia to be vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under the above Rules may be heard by a Judge sitting singly, during the period shown against their names below :—

The Hon'ble Mr. Justice N. L. Untwalia
from 8th May to 11th June 1978 (both days inclusive)
The Hon'ble Mr. Justice R. S. Sarkaria
from 12th June to 16th July 1978 (both days inclusive)

The Hon'ble Mr. Justice Untwalia will sit in Court on Tuesday, the 23rd May and 6th June 1978 and the Hon'ble Mr. Justice R. S. Sarkaria on Tuesday, the 20th June and 4th July, 1978. Sittings will, however, continue on the next succeeding day(s) if matters fixed for any day are not finished of that day.

During Summer Vacation the Offices of the Court will remain open daily from 10.00 A.M. to 4.30 P.M. except on Saturdays, Holidays and Sundays. The Offices of the Court will, however, remain open on Saturday, the 15th July 1978 from 10.30 A.M. to 1.30 P.M.

No plaints, appeals, petitions or other documents except those which are of an urgent nature will be filed or received in the Registry of the Court during the above period of vacation. For the convenience of the parties, however, the Registry will receive all plaints, appeals, petitions and other documents from 10th July 1978 onwards during office hours.

M. P. SAXENA,
Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 18th March 1978

No. A.12019/1/78-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Shri M. L. Khanduri, a permanent personal Assistant (Grade C of CSSS) and officiating Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) to the post of Special Assistant to Chairman in the office of Union Public Service Commission on an *ad hoc* basis for the period from 2-3-1978 to 31-5-1978, or until further orders, whichever is earlier.

Shri M. L. Khanduri will be on deputation to the *ex cadre* post of Special Assistant to Chairman, Union Public Service Commission and his pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O.M. No. F.10(24)-E.III/60 dated 4th May, 1961, as amended from time to time.

No. A.12019/2/78-Admn.II.—In continuation of the U.P.S.C. Notification No. A.12019/4/77-Admn.II dated 22-12-1977 and Notification of even number dated 21-1-1978, the Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Smt. Sudha Bhargava and Shri Chand Kiran, permanent Research Assistants (Hindi) of this office to officiate on an *ad hoc* basis as Junior Research Officer (Hindi) for the period from 1-3-1978 to 30-4-1978, or until further orders, whichever is earlier.

The 31st March 1978

No. A.12019/1/75-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission, hereby appoints the following Assistant Superintendents (Hollerith) in the office of the Union Public Service Commission to officiate, on an *ad hoc* basis, as Section Officer (D.P.) in the Commission's office, for a further period of three months w.e.f. the forenoon of 1-3-78 or until further orders, whichever is earlier.

1. Shri B. R. Gupta.
2. Shri M. M. Sharma

P. N. MUKHERJEE, Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 27th March 1978

No. A.12019/5/74-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri M. S. Chhabra, a permanent Section Officer of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis as Senior Analyst for the period from 13-3-1978 to 31-5-1978, or until regular arrangements are made, or until further orders, whichever is the earliest.

2. Shri M. S. Chhabra will be on deputation to an *ex cadre* post of Senior Analyst, Union Public Service Commission and his pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O.M. No. F.10(24)-E.III/60 dated 4-5-1961, as amended from time to time.

No. A.12019/1/75-Admn.II.—In continuation of Union Public Service Commission Notification of even number dated 6th January, 1978, Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints the following Superintendents (Hollerith) in the office of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis, as Assistant Controller (DP) in the Commission's office for a further period of three months w.e.f. 1-3-78 or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri M. L. Dhawan
2. Shri J. L. Kapur and
3. Miss Santosh Handa

P. N. MUKHERJEE,
Under Secretary,
for Chairman,
Union Public Service Commission.

ENFORCEMENT DIRECTORATE
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT

New Delhi, the 28th March 1978

No. A-11/5/78.—Shri D. P. Basu, Preventive Officer, Grade I(O.G.) Collectorate of Customs, Calcutta is appointed to officiate as Inspector of Customs on deputation basis in Special Unit, Calcutta office of this Directorate with effect from 1-3-78 and until further orders.

S. D. MANCHANDA,
Director.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 31st March 1978

No. 11/10/76 Ad.I.—In continuation of this office notification No. 11/10/76 Ad.I dated 12 September, 1977, the President is pleased to extend the appointment of Shri K. C. Suri, Assistant Director of Census Operations (Technical), in the office of the Director of Census Operations, Punjab, as Deputy Director of Census Operations, Maharashtra, at Bombay on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a further period of two months with effect from 1-3-1978 upto 30-4-1978, or until further orders, whichever period is shorter.

BADRI NATH,
Deputy Registrar General, India
& *ex-officio* Dy. Secy. to the Govt of India.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
CENTRAL REVENUES

New Delhi, the 29th March 1978

CORRIGENDUM

No. Admn.I/0.0.720/FP/R.K.Anand/2737.—In this office notification No. O.O.Admn.I/603, dated 4-1-78/17-1-78

regarding retirement of Shri R. K. Anand, for the words "Shri R. K. Anand while holding charge of Deputy Accountant General" the following may be substituted :

"Shri R. K. Anand, a temporary Assistant Accountant General, while looking after the charge of Deputy Accountant General".

The 3rd April 1978

No. Admn.I/0.0.750/5-5/Promotion/77-78/2829.—The Accountant General hereby appoints the following Section Officers of this office to officiate as Accounts Officers in the time scale of Rs. 840-1200 with effect from the forenoon of 15th March, 1978 until further orders :—

1. Shri Raja Ram
2. Shri S. K. Verma.

K. H. CHHAYA,
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, WESTERN RAILWAY

Bombay, the 28th March 1978

No. SA/HQ/Admn/IX/1/8182.—Shri B. S. Jauhari, an officiating Audit Officer of this office is appointed in a substantive capacity to the Audit Officer's Grade with effect from 1st January 1978.

A. N. BISWAS,
Chief Auditor.

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110 022, the 3rd April 1978

No. 18179/AN-II.—Having been permitted to retire voluntarily, Shri S. Krishnamurthi, an officer of the Indian Defence Accounts Service (on deputation to the Madras Atomic Power Project, Kalpakkam) was transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department from 4-10-1977 (F.N.).

2. *CORRIGENDUM*

This office Notification of even No. dated 13-12-1977 in respect of Shri S. Krishnamurthi, is hereby cancelled.

V. S. BHIR,
Addl. Contlr. Gnl. of Defence Accounts

New Delhi, the 22nd March 1978

No. 23012(1)/76/AN-A—The Controller General of Defence Accounts hereby appoints the undermentioned Permanent Section Officers (Accounts) as Accounts Officers in a substantive capacity with effect from the forenoon of the dates shown against each.

Sl. No.	Name	Organisation where serving	Date of effect
(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri		
1.	A. Paul Raj	Controller of Defence Accounts, (Factoreis) Calcutta.	28-6-71
2.	Sarv Prakash Mehra	Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut.	1-1-74
3.	Ram Krishan Sharma	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut.	22-2-76
4.	Inder Singh Oberoi	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras.	23-2-76
5.	S.P. Sharma	Controller of Defence Accounts, Patna.	15-12-76
6.	T.R. Sabbarwal	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) North, Meerut.	15-12-76
7.	K. Subramanian	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun.	15-12-76
8.	R. Swaminathan	Controller of Defence Accounts, Patna.	24-12-76
9.	Paresh Lal Mukherjee	Controller of Defence Accounts, Patna.	15-1-77
10.	Sham Sunder Sharma	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut.	15-1-77
11.	G. S. Sahni	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	26-8-77
12.	S. Ramanathan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras.	14-10-77
13.	Sukh Pal Gupta	Controller of Defence Accounts, Patna.	1-2-77
14.	A. Subramania Iyer	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	8-1-78
15.	Shanti Lal Chopra	Controller of Defence Accounts. (Pensions) Allahabad	26-3-77
16.	Krishan Lal Sawhney	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun.	1-10-76
17.	Prithvi Raj Chopra	Joint Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut.	7-10-76
18.	Tirath Ram Narang	Controller of Defence Accounts, (Pensions), Allahabad.	18-11-76
19.	Nathu Ram Kapur	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) North, Meerut.	4-11-76
20.	Jit Singh	Controller of Defence Accounts, (Northern Command), Jammu.	1-10-72
21.	J. Ramanathan	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.	18-12-76
22.	Dularey Lal Kanojia	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	1-10-76

(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri		
23.	Banta Singh	Controller of Defence Accounts, (Pensions), Allahabad.	13-12-76
24.	Ranjit Singh	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	16-12-76
25.	Chandra Bhan Vidyarthi	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	16-12-76
26.	Santok Singh	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	11-12-76
27.	Man Singh	Controller of Defence Accounts, Patna.	27-12-76
28.	Ram Krishan Vashist	Controller of Defence Accounts, Patna.	11-12-76
29.	L.N. Nathamuni	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.	20-12-76
30.	Ghasi Ram Gokula	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) North, Meerut.	28-12-76
31.	Dori Lal	Controller of Defence Accounts, Patna.	16-12-76
32.	P. Periaswamy	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	30-12-76
33.	P. K. Thevan	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	27-12-76
34.	Jyoti Lal	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	16-12-76
35.	Radhey Shiam Pal	Controller of Defence Accounts, Patna.	31-12-76
36.	D. Krishnamurthy	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)-South, Madras.	1-2- 77
37.	Amar Nath Bharara	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) North, Meerut.	3-2-77
38.	Jai Dev Kohli	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	26-5-77
39.	Ganesh Das Sethi	Joint Controller of Defence Accounts, (Funds), Meerut.	1-2-77
40.	N. Sivasankaran	Controller of Defence Accounts, (Factories), Calcutta.	1-2-77
41.	Satyendra Nath Mukherjee.	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	21-5-77
42.	Ram Krishna Rajpal	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	27-2-77
43.	K. Ratnaswamy	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) South, Madras.	1-2-77
44.	S. Neelakantan	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	10-2-77
45.	Jaswant Rai Malhotra	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) North, Meerut.	21-3-77
46.	H.L. Malik	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	1-2-77
47.	V. Achuthanarayanan	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) South, Madras.	1-2-77
48.	Jagdev Pal Mehra	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	1-2-77
49.	Gobinda Lal Mukherjee.	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	28-2-77
50.	Amir Chand Kapur	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) North, Meerut.	1-2-77
51.	Surat Singh	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	5-2-77
52.	Hari Chand Bawa	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	1-2-77
53.	S.A. Kulkarni	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks) South, Madras.	3-3-77
54.	J.N. Mathur	Controller of Defence Accounts, (Pensions), Allahabad.	1-2-77
55.	N.L. Gogia	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	28-2-77
56.	Sohan Lal	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	28-2-77
57.	Parshotam Lal Sharma	Controller of Defence Accounts, (Northern Command) Jammu.	12-2-77
58.	Jagdish Rai Khanna	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	1-2-77

(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri		
59.	Udho Dayal Sharma	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	10-3-77
60.	K.S. Madhavan	Controller of Defence Accounts, (Navy), Bombay.	3-2-77
61.	Swinder Singh	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	1-2-77
62.	Narendra Nath Kapur	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	27-2-77
63.	Mangal Sain Bhasin	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—North, Meerut.	1-2-77
64.	V.N. Gangadharan Nair	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	20-2-77
65.	Rajinder Singh Dosaj	Joint Controller of Defence Accounts, (Funds), Meerut.	1-5-77
66.	Sunder Lal Sikka	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	7-3-77
67.	Madan Mohan Kapur	Controller of Defence Accounts, (Pensions), Allahabad.	11-3-77
68.	B.S. Thapar	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	4-3-77
69.	P. Mahadevan	Controller of Defence Accounts, (Navy) Bombay.	1-3-77
70.	Joga Singh	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	1-3-77
71.	A.S. Bhatia	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	24-3-77
72.	S. Bhageerathan	Controller of Defence Accounts, (Officers) Poona.	1-3-77
73.	Jagdish Chander Kathuria	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	30-4-77
74.	Ram Dev Chopra	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	17-3-77
75.	Tej Prakash Nanda	Controller of Defence Accounts, (Pensions)) Allahabad.	28-8-77
76.	Jagannath Malhotra	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—North, Meerut.	26-3-77
77.	Parshotam Lal Sayal	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	7-3-77
78.	A.G. Kaimal	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—South, Madras.	29-9-77
79.	Wazir Chand	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	17-6-77
80.	Takhat Singh	Controller of Defence Accounts, Northern Command, Jammu.	1-4-77
81.	Gopi Chand Tandon	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	21-5-77
82.	K.G. Venkateswaran	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	1-4-77
83.	M.R. Srinivasa Raghavachari.	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	2-6-77
84.	R.K. Iyengar	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—South, Madras.	1-4-77
85.	Gurubaksh Singh	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	1-4-77
86.	O.P. Chopra	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—North, Meerut.	25-6-77
87.	L.C. Gupta	Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut.	21-1-78
88.	Kundan Lal Malik	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	15-4-77
89.	Ram Nath Sharma	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	17-5-77
90.	R.L. Sehgal	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	12-5-77
91.	S.K. Khanna	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—North, Meerut.	12-5-77
92.	Amrit Bhusan Malik	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	26-6-77
93.	K. Suryanarayana	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—South, Madras.	28-5-77
94.	D.N. Khurana	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	1-5-77

(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri		
95.	Krishna Kumar Kaipla	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	13-5-77
96.	G. Venkataraman	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	26-5-77
97.	K.S. Asthana	Controller of Defence Accounts, (Pensions) Allahabad.	2-6-77
98.	Har Krishan Lal	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	2-6-77
99.	Lachman Singh Sohi	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun.	2-6-77
100.	Des Raj Bhatia.	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	2-6-77
101.	Raja Ram Verma	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.	4-6-77
102.	Ram Lal Madan	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	30-6-77
103.	P. Rama Mohan Rao	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona	11-6-77
104.	Sasanka Mohan Deb	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	1-8-77
105.	D.D. Kavi	Controller of Defence Accounts, Southern, Command, Poona.	30-6-77
106.	Hari Bhagat Sharma	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.	12-6-77
107.	Rewa Dhar Joshi	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad	2-6-77
108.	Ramji Lal Goel	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	14-7-77
109.	Sri Ram Gulati	Controller of Defence Accounts, Northern Command Jammu.	7-7-77
110.	Satya Prakash Gupta.	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—North, Meerut.	16-7-77
111.	Gurbaksh Singh Possa	Controller of Defence Accounts, Patna.	28-7-77
112.	Ram Rang Batra	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	20-8-77
113.	K.K. Roy Chowdhry	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	14-7-77
114.	Shiv Datt Sharma	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—North, Meerut.	29-8-77
115.	G. Natesan	Controller of Defence Accounts, (Factories), Calcutta.	11-7-77
116.	Raj Kumar Talwar	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	4-7-77
117.	N.V. Ardhanari	Controller of Defence Accounts, (Navy) Bombay.	29-7-77
118.	Ram Dev Varma	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	11-8-77
119.	Prem Chand Sharma	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	4-7-77
120.	Joginder Singh Talwar	Controller of Defence Accounts, Patna.	28-7-77
121.	Prem Sagar Gupta	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	3-7-77
122.	Shiv Lal Katyal	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	14-7-77
123.	Chiranji Lal Gupta	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.	31-7-77
124.	J.S.A. Satyanarayana.	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—South, Madras.	16-8-77
125.	Gurcharan Singh	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.	9-9-77
126.	Jagdish Singh	Controller of Defence Accounts, Patna.	29-8-77
127.	Govinda Sahai	Controller of Defence Accounts, Patna.	21-8-77
128.	A. Madaswamy	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	26-8-77
129.	G.C. Bain	Controller of Defence Accounts, Patna.	21-8-77
130.	D.L. Khadse	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	13-8-77
131.	Hari Singh	Controller of Defence Accounts, Patna.	23-8-77

(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri		
132.	Lacha Singh	Controller of Defence Accounts, Patna.	18-8-77
133.	S.C. Verma	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta,	13-8-77
134.	T.M. Krishnan	Controller of Defence Accounts, (Factories) Calcutta.	11-8-77
135.	Diwana Ram Dhiman	Controller of Defence Accounts, (Air Force) Dehradun.	11-9-77
136.	Satish Chandra	Controller of Defence Accounts, Patna.	23-9-77
137.	Ram Rattan	Controller of Defence Accounts, (Other Ranks)—South, Madras.	11-9-77

R. VENKATARATNAM,
Deputy Controller General
of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF LABOUR

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Jagjiwan Nagar, the March 1978

No. Adm.12(7)77.—Shri A. S. Singh, Asstt. Welfare Administrator is promoted as Welfare Administrator (FW) in the pay scale of Rs. 650—1200/- with effect from 8-11-77 (F/N). He will be on probation for a period of two years.

Shri Singh has been posted under the Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad.

This supersedes notification number Adm. 12(7)77 issued under memo of same number dated 11-1-1978.

H. H. QURAISHY,
Addl. Coal Mines Welfare Commissioner
Dhanbad.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 22nd March 1978

No. 12(69)/61-Admn.(G).—The President is pleased to permit Shri P. Narasiah, Director in Small Industry Development Organisation and on deputation with Central Institute of Tool Design, Hyderabad as Principal Director, to retire from Government service w.e.f. the afternoon of 31st October, 1977, on his attaining the age of superannuation.

V. VENKATRAYULU,
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF STEEL & MINES

(DEPTT. OF STEEL)

IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-20, the 30th March 1978

No. EI-1(5)/74.—In supersession of notification of even number dated 28-2-77 Iron & Steel Controller hereby appoints Shri Rabindra Lal Mitra to officiate in the post of Dy. Assistant Iron & Steel Controller w.e.f. 29-6-1971.

A. C. CHATTOPADHYAY,
Dy. Iron & Steel Controller
for Iron and Steel Controller.

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 28th March 1978

No. 5(80)/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri M. N. Biswas, *ad hoc* Programme Executive, All India Radio, Kohima to that post on a regular basis in a temporary capacity with effect from 21st July, 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ,
Deputy Director of Administration,
for Director General.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi-110001, the 3rd April 1978

No. A.12026/5/78-Est.—Consequent on reversion to the post of Technical Assistant (Advertising), S/Shri R. K. Bhaindwal and Bhaskar Nayar relinquished charge of the post of Assistant Media Executive held by them on *ad hoc* basis on 30th March, 1978 (forenoon).

K. S. SRINIVASAN,
Senior Copywriter
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 28th March 1978

No. A.19019/13/77-CGHS.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. M. B. Singh to the post of Ayurvedic Physician in the Central Govt. Health Scheme Allahabad on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 6th February, 1978.

N. S. BHATIA,
Dy. Director Admn.
CGHS.

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR, POSTS AND TELEGRAPHS

Delhi-110054, the 17th March 1978

O. O No. Admn. V/898/23(A) (2) Notifications—The Chief Auditor, Post and Telegraphs has been pleased to promote and appoint the following section officers as officiating Audit Officers and to post them in the Posts and Telegraphs Audit Offices indicated against each until further orders. Their promotions are on ad hoc basis and are subject to revision.

Sl. No.	Name	P&T Branch Audit office to which belongs as S.O.	P&T Branch audit office to which posted.	Date of promotion as A.O.
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1.	S. C. Bhattacharjee	S.W. & T.C. Calcutta	Cuttack	7-2-1978
2.	N. G. Chakroborty	Do.	Lucknow	9-2-1978
3.	S. K. Dutta	Do.	Patna	8-2-1978
4.	Madhabendu Bhowmick	Patna	Lucknow	6-2-1978
5.	S. K. Sharma	Bhopal	Delhi	10-2-1978
6.	P. A. Kandkar	S.W. & T.C. Calcutta.	Lucknow	31-1-1978

L. C. PATNI,
Deputy Chief Auditor (H. Qrs)

DELHI MILK SCHEME

New Delhi-8, the 31st March 1978

No. 3-56/76-Estt.(Spl.)—Shri S. P. Chatterjee is appointed to officiate as Pay & Accounts Officer, Delhi Milk Scheme (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 14-2-1978 to 9-3-1978 in the leave vacancy of Shri Ganpat Rai, Pay & Accounts Officer, Delhi Milk Scheme.

No. 3-11/77-Estt.(Spl.).—Shri Mohinder Singh, Asstt. Administrative Officer, Delhi Milk Scheme is appointed to officiate as Administrative Officer (Group 'B' Gazetted) under the Delhi Milk Scheme in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 on purely temporary and *ad hoc* basis with effect from 24-10-1977 to 14-4-78.

The 1st April 1978

No. 3-24/77-Estt.(Spl.).—Shri V. D. Kochhar, Asstt. Administrative Officer, Delhi Milk Scheme is appointed to officiate as Administrative Officer (Group 'B' Gazetted) under the Delhi Milk Scheme in the pay scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 on purely temporary and *ad hoc* basis with effect from 16-3-78 to 13-4-78.

J. K. ARORA,
Chairman

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-85, the 23th February 1978

Ref. PA/79(6)/78-Estt.II/722.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K. Damodaran, Stenographer (Sr.) in Bhabha Atomic Research Centre to officiate as an officer in the Assistant Administrative Officer's grade (Rs. 650—960) in the same Research Centre as under :

(i) From January 30, 1978 (FN) to February 1, 1978 (AN) on an *ad hoc* basis.

(ii) From the Forenoon of February 2, 1978 until further orders on a regular basis.

Ref. 5/1/78/Estt. II/723—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an *ad-hoc* basis as Accounts Officer II/Assistant Accounts Officer for the period shown against their names :—

Sl. No.	Name & Desg.	Appointed to officiate as	Period	
			From	To
1.	Shri P.C. Thomas, Asstt. Accounts Officer	Accounts Officer-II	10-10-1977	9-12-1977
2.	Shri F. D' Souza, Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	8-8-1977	23-12-1977
3.	Smt. S.I. Meherjee, Asstt. Accountant.	Asstt. Accounts Officer	13-12-1977	21-1-1978

No. PA/79(6)/78-Estt.II/724.—On transfer from Rajasthan Atomic Power Project, Shri C. Stephen Balasundaram assumed charge as an officer in the Asstt. Admn. Officer's Grade (Rs. 650-960) in CWMF, Kalpakkam (BARC) in an officiating capacity with effect from the Forenoon of January 21, 1978 until further orders.

The 4th March 1978

Ref. 5/1/77/Estt.II/844.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K. R. C. Pillai, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer on an *ad hoc* basis in this Research Centre with effect from 24-8-1977 (FN) to 22-11-1977 (AN).

The 15th March 1978

Ref. 5/1/78/Estt.II/991.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K. R. C. Pillai, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer on an *ad hoc* basis in this Research Centre with effect from 1-12-1977 (FN) to 4-3-1978 (AN).

P. S. VENKATASUBRAMANIAN,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Narora, the 31st March 1978

No. NAPP/Adm/1(83)/78-S/3139.—Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project, appoints Shri Gurdial Singh a Permanent Asstt. Foreman of Bhabha Atomic Research Centre and Officiating Foreman in Narora Atomic Power Project as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the same Project, in a temporary capacity with effect from the forenoon of August 1, 1977 until further orders.

G. G. KULKARNI,
Sr. Administrative Officer

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603 102, the 16th March 1978

No. MAPP/8(16)/77-Adm.—Director, Power Projects Engineering Division is pleased to appoint Shri K. G. Balachandran, a permanent Upper Division Clerk in Power Project Engineering Division and officiating Selection Grade Clerk as Assistant Personnel Officer in Madras Atomic Power Project on *ad hoc* basis, with effect from the forenoon of January 21, 1978 to March 6, 1978 (AN), *vice* Shri M. D. Raghavan, proceeded for training.

K. BALAKRISHNAN,
Administrative Officer

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 24th March 1978

No. AMD-1/28/77-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri S. Chandra Sekaran as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of March 13, 1978 until further orders.

S. RANGANATHAN,
Sr. Administrative & Accounts Officer.

DEPARTMENT OF SPACE

INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

SPACE APPLICATIONS CENTRE

Ahmedabad-380 053, the 20th February 1978

No. SAC/EST/3.18/78.—On the expiry of the tenure of his deputation to this Centre the services of Shri N. Narayanaswamy, Station Officer, have been replaced at the disposal of the Government of Tamil Nadu with effect from 1-2-1978.

The 24th February 1978

No. SAC/EST/CA/AES/45/78.—The Director is pleased to appoint Shri Ajai Bohra as Engineer SB in a temporary capacity in the Space Applications Centre of Indian Space Research Organisation, Department of Space with effect from January 31, 1978 until further orders.

The 7th March 1978

No. SAC/EST/CA/MCSD/17/78.—The Director is pleased to appoint Shri V. R. Bhatnagar as Engineer SB in a temporary capacity in the Space Applications Centre of Indian Space Research Organisation, Department of Space with effect from October 24, 1977 until further orders.

No. SAC/EST/CA/EFD/51/78.—The Director is pleased to appoint Shri N. J. Shelat as Engineer SB in a temporary capacity in the Space Applications Centre of Indian Space Research Organisation, Department of Space with effect from January 13, 1978 until further orders.

S. G. NAIR,
Head, Personnel & Gen. Admn.

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Trivandrum-695022, the 3rd March 1978

No. VSSC/EST/NTF/78—The Director, VSSC hereby appoints the undermentioned persons in Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum of the Department of Space as Scientist/Engineer SB in an officiating capacity in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 with effect from the dates shown against each and until further orders :

Sl. No.	Name	Designation	Divn./Proj.	Date of appointment
1.	Shri K. S. Appu	Scientist/Engineer SB	MET	31-12-77(AN)
2.	Shri P. C. George	Scientist/Engineer SB	ELS	1-10-1977
3.	Shri C. Jayakumar	Scientist/Engineer SB	COM	31-12-77(AN)

RAJAN V. GEORGE, Adm. Office-II (Est)
for Director, VSSC

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 1st April 1978

No. E(I)07208.—The Director General of Observatories, hereby appoints Shri Debidas Sinha as Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 10th December, 1977 and until further orders.

Shri Sinha is posted to Meteorological Centre, Gauhati under the office of the Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta.

G. R. GUPTA,
Meteorologist
for Director General of Observatories.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL CIVIL AVIATION

New Delhi, the 31st March, 1978

No. A. 32014/2/77-EC—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Communication Assistants to the grade of Assistant Communication Officer on regular basis with effect from the date indicated against each and until further orders and to post them to the station indicated against each :—

S. No.	Name	Present station of positing	Station to which posted	Date of assumption of charge
	S/Shri			
1.	V. K. E. Sharma	ACS, Bombay	ACS, Bombay	21-2-78 (FN)
2.	M. C. Antani	ACS, Bombay	ACS, Bombay	21-2-78 (FN)
3.	Sat Paul Singha	ACS, Palam	ACS, Safdarjung New Delhi.	18-2-78 (FN)
4.	Shyam Lal	ACS, N. Delhi	ACS, New Delhi	18-2-78 (FN)
5.	J. S. Sandhu	ACS, Amritsar	ACS, New Delhi	27-2-78 (FN)
6.	A. C. Bose	CATC, Allahabad	CATC, Allahabad	21-2-78(FN)
7.	B. C. Mokhijani	ACS, Jaipur.	ACS, Safdarjung, New Delhi.	27-2-78 (FN)

S. D. SHARMA,
Deputy Dir. of Admn.

New Delhi, the 3rd March 1978

No. A.32013/6/76-ES.—In continuation of this office Notification No. A.32013/6/76-ES(ii) dated the 22nd October, 1977, the President is pleased to extend the *ad hoc* appointment of the undermentioned officers to the grade of Senior Aircraft Inspector, for a period of six months or till the posts are regularly filled whichever is earlier,

S. No. and Name

1. Shri S. L. Srivastava
2. Shri M. P. Mathew

The 3rd April 1978

No. A.32012/3/78-ES.—The Director General of Civil Aviation is please to appoint Shri K. Kishore, Assistant Estate Manager, as Administrative Officer (Group 'B' post) w.e.f. the forenoon of 9th March, 1978 and until further orders in the office of the Regional Director, Delhi Region.

No. A.32012/3/78-ES.—Shri B. K. Talwar, Administrative Officer (Group 'B' Post) in the office of the Regional Director, Delhi Region relinquished charge of his duties on the afternoon of the 28th February, 1978 on retirement from

Government Service on attaining the age of superannuation.

No. A.32012/3/78-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri R. G. Sarkar as Administrative Officer (Gorup 'B' post) on regular basis with effect from the forenoon of the 6th March, 1978 and until further orders in the office of the Regional Director, Calcutta Region.

S. L. KHANDPUR,
Assistant Director of Administration.

New Delhi, the 31st March 1978

A.32013/4/77-EA.—The President has been pleased to appoint Shri H. K. Sachdev, Senior Aerodrome Officer to the post of Deputy Director/Controller of Aerodromes, in the Air Routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Department in an officiating capacity, with effect from the 20th March, 1978, and until further orders. Shri Sachdev is posted as Controller of Aerodrome, Calcutta Airport, Dum Dum.

V. V. JOHRI,
Asstt. Director of Administration

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Baroda, the 19th December 1977

No. 12/77.—Shri P. G. Trivedi, superintendent of Central Excise, Group-B, Inspection Group of Anand Division retired on superannuation in the afternoon of 30-11-1977.

K. S. DILIPSINGHJI
Collector of Central Excise,
Baroda

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 31st March 1978

No. A. 19012/631/77-Adm. V—Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer on purely temporary and ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates indicated against each officer until further orders. They assumed charge of the posts in offices mentioned against their names.

S.No.	Name of officer with Designation	Date of promotion	Name of office where posted.
1.	Shri P. Kunhahamed, Supervisor	10-1-78 (FN)	Coimbatore Gauging Sub-Division, Coimbatore.
2.	Shri Satish Chander Singhal, Supervisor	7-2-78 (F.N.)	Tipaimukh Investigation Division N. II, Imphal.
3.	Shri R. K. Ahuja, Supervisor	21-12-77 (F.N.)	Sahibi Investigation Sub-Division No. 1, Faridabad.
4.	Shri G. S. Rao, Supervisor	17-1-78 (F.N.)	Drought Area Study Sub-Division No. I, C.W.C., Pune.

J. K. SAHA,
Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 31st March 1978

No. 1/273/69-ECIX.—Chri B. M. Pradhan, Senior Architect of this Department retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31st March, 1978 (AN).

No. 1/302/69-ECIX.—Shri M. G. Ringe, Assistant Architect of this Department retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31st March, 1978 (AN).

KRISHNA KANT
Dy. Director of Administration

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 4th January 1978

No. 23—The following officers of I.R.S.E. Department Northern Railway are confirmed in Junior scale (Rs.)700-1300 with effect from the dates noted against each :—

1. Shri Rajinder Kumar Goyal, Divisional Engineer Northern Railway, Allahabad. 22-11-1974 Final
2. Shri Vijay Kumar, Divisional Engineer, Northern Railway, Jodhpur. 22-11-1974 Final
3. Shri Aukush Krishan, Senior Civil Engineer (Bridge) Line-I Headquarters Office. 22-11-1974 Final
4. Sh. Bhupender Singh, Senior Civil Engineer (Br) JRC 3-12-1974 Final
5. Sh. Rakesh Chopra, Asstt. Engineer, Northern Railway, Varanasi. 12-3-1976 Final
6. Sh. Brij Mohan Khera, Asstt Engineer, Northern Railway, Fatepur. 12-3-1976 Final
7. Shri Puran Lal Ahuja, Asstt. Engineer, Northern Railway, Jodhpur. 10-1-1977 Final
8. Shri Prem Narain Singh, Assistant Engineer, Railway, Pathankot.. 3-4-1977 Final

G.M. KESWANI,
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
(COMPANY LAW BOARD)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF THE COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Sathiyavathi Transport Private Limited

Madras-600 006, the 23rd March 1978

No. 4524/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sathiyavathi Transport Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Essential Needs and Supplies Private Limited

Madras-600 006, the 23rd March 1978

No. 4691/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Essential Needs and Supplies Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Melur Bus Service Private Limited

Madras-600 006, the 23rd March 1978

No. 4848/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Melur Bus Service Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Sri Muthulakshmi Private Limited

Madras-600 006, the 23rd March 1978

No. 5017/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Muthulakshmi Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Pennagaram Transports Private Limited

Madras-600 006, the 25th March 1978

No. 4656/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pennagaram Transports Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Rajendran Roadways Private Limited

Madras-600 006, the 25th March 1978

No. 5594/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajendran Roadways Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

C. ACHUTHAN,
Asstt. Registrar of Companies,
Tamil Nadu.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Bijaya Press Private Limited

Cuttack, the 27th March 1978

No. S.O/628/7065(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Bijava Press Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Diamond Steel Industries Private Limited

Cuttack, the 27th March 1978

No. S.O/623/7066(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Bijaya Press Private Limited Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

D. K. PAUL
Registrar of Companies,
Orissa.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Som Finance Lucky Scheme & Chit Fund Company Private Limited

Jullundur, the 29th March 1978

No. G/Stat/560/2953/14313.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Som Finance Lucky Scheme & Chit Fund Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Kapoor Brothers Private Limited

Jullundur, the 29th March 1978

No. G/Stat/560/259/14315.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Kapoor Brothers Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Leader Fans Private Limited

Jullundur, the 29th March 1978

No. G/Stat/560/3730/14319.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Leader Fans Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies,
Punjab, H.P. & Chandigarh

Jullundur, the 29th March 1978

No. Liqn/14317.—Whereas M/s Ex-Soldiers Trading Company Private Limited having its registered office at V. & P.O. Deopur, Dist. Hoshiarpur is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that no liquidator is acting* / the affairs of the Company have been completely wound up, and that the statement of Accounts (returns)† required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of Section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of M/s. Ex-Soldiers Trading Company (P) Limited will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies,
Punjab, H.P. & Chandigarh

*Strike off the portion which is not necessary.

†The nature of the return(s) should be specified.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Gwalior Agencies Limited

Gwalior, the 31st March 1978

No. 346/1855.—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Gwalior Agencies Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

J. R. BOHRA
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Chandi Brothers Private Limited

Cacutta, the 31st March 1978

No. 8564/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Chandi Brothers Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Devendra Mills Limited

Cacutta, the 31st March 1978

No. 12724/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Devendra Mills Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Jhe Saddles (India) Private Limite

Cacutta, the 31st March 1978

No. 29742/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the The Saddles (India) Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

S. C. NATH
Registrar of Companies,
West Bengal, Calcutta

In the matter of Companies Act 1 of 1956
And

In the matter of Saugor Electricty Supply Co. Limited

Calcutta, the 3rd April 1978

No. L/7029/HD/1864.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act 1 of 1956 that an order for winding up of the above-named company was made by the Honble High Court, Calcutta on 1-6-77 and the Official Liquidator, High Court, Calcutta has been appointed the Official Liquidator.

In the matter of Companies Act 1 of 1956
And

In the matter of Jubbulpore Electric Supply Co. Limited

Calcutta, the 3rd April 1978

No. L/5285/H-D/1865.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act 1 of 1956 that an order for winding up of the above-named company was made by the Hon'ble High Court, Calcutta on 1-6-77 and the Official Liquidator/Court Liquidator, High Court, Calcuttah as been appointed the Official Liquidator.

N. N. MAULICK
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal, Calcutta

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

INCOME TAX DEPARTMENT

New Delhi, the 28th March 1978

No. Coord.(Pub.)CIT-IV/D/76-77/37938.—In pursuance of the order dated 26-12-70 under Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) authorising so to do, the Commissioner of Income-tax, Delhi-IV hereby publishes names and other particulars of the assessees in whose cases arrears of Income-tax demand exceeding Rs. 1 lakh were written off during the financial year 1976-77 —(i) Indicates status 'I' for individual 'H' for Hindu Undividwed Family 'C' for Company (ii) for assessment year (iii) for demand written off (iv) for brief reasons for write off. (1) Narain Dass Laxmi Chand Cloth Market, Chandni Chowk, Delhi (i) H, (ii) 62-63, (iii) 4,00,000, (iv) The demand was felt to be irrecoverable.

Note : The statement that the tax due from a person has been written off only means that in the opinion of Income-tax Department it cannot be on the date of publication be realised from the known assets of the assessees. The publication does not imply that the amount is irrecoverable in law or that the assessee is discharged from his liabilities to pay the amount in question."

A. J. RANA
Commissioner of Income-tax,
Dehi-IV, New Delhi.

OFFICE OF THE INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-20, the 30th March 1978

No. F.48-Ad(AT)/1978.—1. Shri Y. Balasubramaniam, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on ad-hoc basis in a temporary capacity for a period of six months from 1-9-1977 to 28-2-1978 vide this office notification No. F.48-Ad(AT)/77, dated 6th October, 1977, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on ad-hoc basis for a further period of six months from 1-3-1978 to 31-8-1978 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is an ad-hoc and will not bestow upon Shri Y. Balasubramaniam, a claim for regular appointment in the grade and service rendered by him on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

2. Shri S. V. Narayanan, Senior Stenographer, Income-tax Appellate Tribunal, Hyderabad Benches, Hyderabad who was continued to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Calcutta Benches, Calcutta on ad-hoc basis in a temporary capacity for a period from 1-9-1977 to 28-2-1978 vide this office Notification No. F.48-Ad(AT)/77, dated 6th October, 1977, is now permitted to continue in the same capacity as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Calcutta Benches, Calcutta on ad-hoc basis for a further period of six months from 1-3-1978 to 31-8-1978 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is an ad-hoc and will not bestow upon Sri S. V. Narayanan, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad-hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to next higher grade.

P. D. MATHUR, President

OFFICE OF THE
INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF
INCOME-TAX ACQUISITION RANGE,
DHARWAR

Dharwar, the 5th April 1978

CORRIGENDUM

Read "Notice No. 209/77.78/Acq." *instead* of "Notice No. 207/77.78/Acq." published in Hindi version in the Gazette of India dated 25-3-1978 under Part III Section-I, in page No. 1560.

D. C. RAJAGOPALAN,
Inspecting Asstt. Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Dharwar

ACQUISITION RANGE-II,
4-A/14, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th April 1978

CORRIGENDUM

No. IAC/Acq.II/77-78/6528.—In the notice u/s 269D(1) of the I.T. Act, 1961, in respect of property No. 25/134, Shakti Nagar Delhi, published in Part III, Sec. 1 of the Gazette of India, week-ending 25th March 1978 on page 1615 of serial No. 12, in line 8 thereof, the error occurring therein is rectified as under :—

For Property No. 25/145 Shakti Nagar, Delhi
Read Property No. 25/134 Shakti Nagar, Delhi.

N. S. CHOPRA,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax Acquisition Range-II,
Delhi/N. Delhi

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 6th April 1978

Ref. No. AMB/4/77-78.—Whereas, I,
RAVINDER KUMAR PATHANIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Kothi No. 5, Model Town situated at Ambala City
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Ambala in August, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Shri Parduman Lal Sobti S/o Shri Krishan Gopal, R/o House No. 8-R, Model Town, Karnal.

(Transferor)

(2) (i) Smt. Pushpa Devi w/o Shri Baldev Raj,
(ii) Shri Baldev Raj,
(iii) Shri Parveen Kumar Ss/o Shri Ram Parkash Chatkara, R/o Mustafabad, Teh. Jagadhari, Dist. Ambala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 5, having an area of 780.55 sq. yds. situated at Model Town, Ambala City.
"Property as mentioned in the sale deed registration No. 2257 registered in the office of the Registering Authority, Ambala on 8-8-1977."

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 6-4-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 5th April 1978

Ref. No. GRG/11/77-78.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propertry, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land measuring 64 kanal 4 marla situated at Village Choma, Teh. & Distt. Gurgaon,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in September, 1977.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Girdhari S/o Shri Banwari Lal,
Vill. Gurgaon,
Teh. & Distt. Gurgaon.
(Transferor)

(2) S/Shri
Rattan Lal,
Pirthi Singh and
Tek Chand
Ss/o Shri Net Ram,
Sudarshan Singh, Surinder Singh
Ss/o Shri Rattan Lal,
Vill. Dundahera,
Teh. & Distt. Gurgaon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 64 kanals 4 marlas situated at Village Choma, Teh. & Distt. Gurgaon.
"Property as mentioned in the sale deed registration No. 1833 dated 5-9-1977 registered in the office of Registering Authority, Gurgaon."

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 5-4-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 5th April 1978

Ref. No. CHD/83/77-78.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Annexe Building on H. No.528, Sector 18-B situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Chandigarh in January, 1978, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. K. Baweja s/o Shri Kanahiya Lal, Karta (HUF) R/o S-258, Panchsheel Park, New Delhi.

(Transferor)

(2) S/Shri Parkash Chand, Harish Chander and Krishan Chander Ss/o Sh. Vishal Narain, All R/o H. No. 522, Sector 18-B, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property consists of an annexe building built on freehold plot measuring 1000.30 sq. yards and bearing No. 528, Sector 18-B, Chandigarh.

(Property as mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 1061 dated 9-1-1978 with the Sub-Registrar, Chandigarh).

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 5-4-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 5th April 1978

Ref. No. KNL/42/77-78.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
land measuring 3114 sq. yards with building on G T. Road situated at Karnal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Karnal in August 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

13—36GI/78

(1) Shri Sat Pal self and Mukhtiar-i-am.
(1) (i) S/Shri Harbhajan Singh, Kuldip Singh Ss/o Sh. Kartar Singh,
(ii) Smt. Swaran Kaur w/o Sh. Kartar Singh.
(iii) S. Sant Singh s/o Sh. Partap Singh.
(iv) S. Surinder Singh s/o Sh. Chanchal Singh.
(v) S. Surjit Singh s/o Sh. Sham Singh,
All c/o Surjit Ice Factory, G.T. Road, Karnal.

(Transferors)

(2) M/s. New Karnal Tractors, Karnal through Shri Jatinder Pal of M/s. New Karnal Tractors, G.T. Road, Karnal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 3114 sq yards with building situated on G.T. Road, Karnal.
(Property as mentioned in the sale deed registered at Sl. No. 3745 dated 26-8-77 with the Sub-Rgistrar, Karnal.)

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 5-4-1978.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 5th April 1978

Ref. No. CHD/49/77-78.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S.C.O. No. 21, Sector 26, situated at Chandigarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Chandigarh in August, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Karam Chand
s/o Shri Roop Chand,
R/o H. No. 276/3, Mohalla Shalwali,
Kaithal.
(ii) Shri S. K. Bhandari
s/o Shri Hans Raj Bhandari,
R/o H. No. 639, Sector 16-D,
Chandigarh.
(Transferors)

(2) (i) Sh. Swinder Singh Patwalia
s/o Shri Harnam Singh Patwalia,
(ii) Smt. Manjit Kaur
w/o Shri Sawinder Singh Patwalia,
(iii) Smt. Varinder Kaur
w/o Shri Mohinder Singh,
All R/o H. No. 85, Sector 10-A,
Chandigarh.
(Transferee)

*(3) (i) M/s. Appollo Tyres Ltd.,
(ii) M/s. Williard Bateries India Ltd.,
(iii) M/s. Pahwa Printers.
(iv) M/s. Ballabh Glass Works Ltd.,
(v) Current Law Journal.
(vi) M/s. Karam Chand Thapar & Sons.
(Person in occupation of the Property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property No. S.C.O. 21 in Sector 26, Chandigarh consisting of basement, ground floor and 1st floor. Total area of land is 762.96 sq. yards.
(Property as mentioned in the sale deed registered at Sl. No. 528 dated 12-8-1977 with the Sub-Registrar, Chandigarh).

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 5-4-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 27th March 1978

Ref. No. AC-38/Acq.R-IV/Cal/77-78.—Whereas, I, P. P. SINGH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. P-27 situated at C.I.T. Scheme No. VIM (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 11-8-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Pradeep Kumar Arya

(Transferor)

(2) Shri Gouri Shankar Modi and Shri Satyanarayan Modi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that and parcel of vacant land measuring 2 cottahs 15 chittaks being western portion of premises No. P-27, C.I.T. Scheme No. VIM, Calcutta.

P. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 27-3-1978

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 27th March 1978

Ref. No. AC-39/Acq.R-IV/Cal/77-78.—Whereas, I, P. P. SINGH being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- bearing No. P-27 situated at C.I.T. Scheme No. VIM Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Calcutta on 11-8-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rabi Kumar Arya.

(Transferor)

(2) Shri Kishan Kumar Modi and Shri Sheo Kumar Modi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, will in 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that and parcel of vacant land measuring 2 cottahs 15 chittaks being eastern portion of premises No. P-27, C.I.T. Scheme No. VIM, Calcutta.

P. P. SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 27-3-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 4th April 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/111/Acq.I(17)/77-78/6263.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. J-III/7, situated at Lajpat Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 11-8-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagmohan Tuteja s/o
Shri Manuram Tuteja, r/o
9/52, New Double storey,
Lajpat Nagar, IV, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Shanti Swarup s/o
Late Lala Manchand Rai and Smt. Meena Swarup w/o Shri Shanti Swarup, both
r/o J-7, Lajpat Nagar-III, New Delhi-24.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A 2½ storeyed building constructed on a plot of land measuring 183 sq. yds bearing No. J-7, Lajpat Nagar-III, New Delhi bounded as under :—

East : Service Lane
West : Road
North : Property on Plot No. 8
South : Property on Plot No. 6.

J. S. GILL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,I,
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1978
Seal :

FORM ITNS-————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 4th April 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/141/Sept.II(6)/77-78/6281.—
Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S-139, situated at Greater Kailash-II, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 2-9-1977,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sheela Devi w/o
Shri Jagan Nath r/o
F10/10 Krishan Nagar, Delhi-51
at present C-33, Panchsheel Enclave,
New Delhi, through her attorney
Shri Ratinder Kumar Bhalla s/o
Shri Manohar Lal Bhalla
r/o C-33, Panchsheel Enclave, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Amrit Kaur w/o
Shri Amarjeet Singh
r/o S.95 Greater Kailash-II, New Delhi-48.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. 139 in Block 'S' Measuring 298 sq. yds. in the Residential Colony known as Greater Kailash-II, New Delhi-48 with in limits of Delhi Municipal Corporation in the Revenue Estate of Village Bahapur in the Union Territory of Delhi and Bounded as under :—

East : Road
West : Service Lane
North : House No. S-137
South : Plot No. S-141.

J. S. GILL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,I,
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

New Delhi-110001, the 4th April 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/85/July I(5)/77-78/6281.—Whereas, I, J. S. GILL,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisiton Range, Bihar, Patna
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. R-229 situated at Greater Kailash-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 21-7-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Usha Kohli w/o
Shri S. D. Kohli r/o
A-I/70-71 Lajpat Nagar,
New Delhi.

(Transferor)

(1) Shri Hari Krishan Sarin s/o
Shri Tarlok Chand and
Smt. Tripta Sarin w/o
Shri Hari Krishan Sarin r/o
II-C/29, Laj pat Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing No. R-229, measuring 208 Sq. yds. situated in the residential colony known as Greater Kailash-I, New Delhi and bounded as under :—
East : Service Lane
West : Road
North : House on Plot No. R-227
South : House on plot No. 231.

J. S. GILL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,I,
Delhi/New Delhi

Date : 4-4-1978
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 29th March 1978

Ref. No. Acq. F. No. 640.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 13-109 situated at Prakashnagar Rajahmundry situated at Delisle Road,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on 4-8-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Kandrakota Atchutaramaiah,
2. K. Paravastu Dasaradhi,
3. K. Sowmitri Paravastu,
4. Tirunagiri Sobhakumari,
5. Garimella Vidchi,
6. K. Kowsalyakumari,
7. K. Sumitra,
G. P. A. Holder
Sri Kandrakota Atchutaramaiah.
8. K. A. Ajaya Paravastu,
minor by guardian father
K. Atchutaramaiah.
Ner Women's College,
Narsapur W.G. Dist.

(Transferor)

(2) Garapati Veera Venkata Satyanarayana,
13-109, Prakashnagar, Rajahmundry.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 2858/77 registered before the Sub-registrar, Rajahmundry during the fortnight ended on 15-8-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 29-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 31st March 1978

Ref. No. Acq. F. No. 641.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 13/5A situated at Sajjapuram, Tanuku
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tanuku on 26-8-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Burugupalli Suryarao, S/o
Shri Venkata Ramanna,
Valivennu, Tanuku Taluk, W. G. Dist.

(Transferor)

(2) 1. Ganisetti Venkata RangamS/o Tataiah,
2. Smt. G. Ammani, W/o Venkata Rangam,
Kakaraparru, Tanuku, Taluk,
West Godavari Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE.

The schedule property as per registered document No. 2148/77 registered before the Sub-registrar, Tanuku during the fortnight ended on 31-8-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 31-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 5th April 1978

Ref. No. A-177/Gau/78-89/1708-13.—Whereas, I, EGBERT SINGH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Dag No. 2694 and K. P. Patta No. 416 situated at
Sahar Gauhati, Mouza Ulubari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gauhati D/No. 5289 on 19-8-77,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Uma Guha
W/o Late Biraja Sankar Guha

2. Shri Aloka Sankar Guha
S/o Late Biraja Sankar Guha

3. Shri Bhaskar Sankar Guha
S/o Late Biraja Sankar Guha
52 Nicky Lane, Mellor
Near Blackburn Lancaster, England.

4. Shri Rupal Sankar Guha
S/o Late Biraja Sankar Guha
98 Alicia Garden Kenton Harrow
Middlesex, England.

5. Mrs. Altra Ahmed
D/o Late Biraja Sankar Guha
W/o Shri K. Ahmed
87/J Park Street, Calcutta-16.
Through the Constituted Attorney
Shri B. S. Guha, Advocate
S/o Late Aboy Sankar Guha
Panbazar, Gauhati.

(Transferors)

(2) Shri Pradip Chandra Talukdar
S/o Shri Golok Chandra Talukdar
Ranibari, Panbazar, Gauhati.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16.3/4 Lochas under Sahar Gauhati mouza Ulubari situated at Pan Bazar, Gauhati in the district of Kamrup (Assam).

EGBERT SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong.

Date : 5-4-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillog, the 5th April 1978

Ref. No. A-178/Gau/78-79/1716-21.—Whereas, I, EGBERT SINGH,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair marekt value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Dag No. 2694 and K. P. Patta No. 416 situated at Sahar Gauhati, Mouza Ulbari, Gauhati (Assam)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati D/No. 5288 on 19-8-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent, consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) 1. Smt. Uma Guha
W/o Late Biraja Sankar Guha

2. Shri Aloke Sankar Guha
S/o Late Biraja Sankar Guha

3. Shri Bhaskar Sankar Guha
S/o Late Biraja Sankar Guha
52 Nicky Lane, Mellor
Near Blackburn Lancaster, England.

4. Shri Rupal Sankar Guha
S/o Late Biraja Sankar Guha
98 Alicia Garden Kenton Harrow
Middlesex, England.

5. Mrs. Alta Ahmed
D/o Late Biraja Sankar Guha
W/o Shri K. Ahmed
87/J Park Street, Calcutta-16.

Through the Constituted Attorney
Shri B. S. Guha, Advocate
S/o Late Abhoy Sankar Guha
Panbazar, Gauhati.

(Transferors)

(2) Shri Jyotish Chandra Talukdar
S/o Shri Golok Chandra Talukdar
Ranibari, Panbazar, Gauhati.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 16.3/4 Lochas under Sahar Gauhati mouza Ulubari situated at Pan Bazar, Gauhati in the district of Kamrup (Assam).

EGBERT SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong.

Date : 5-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 5th April 1978

Ref. No. 179/Gau/78-79/1724-27.—Whereas, I, EGBERT SINGH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Dag No. 240 and 241 K. P. Patta No. 57 situated at Village Dispur, mouza Boltola, Gauhati (Assam)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati D/No. 5167 on 19-11-977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hema Shanka Sarma
S/o Late Golok Chandra Sarma
R/o Principal J. Barua Road,
Chenikuthi, Gauhati.

(Transferor)

(2) 1. Shri Satya Narayan Agarwalla
2. Shri Shriprakash Agarwalla
3. Shri Chandra Prakash Agarwalla
All S/o Shri Bhagwandas Agarwalla,
Barabari, Dibrugarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Katha 6 Lechas under Village Dispur mouza Beltola situated at Dispur, Gauhati in the district of Kamrup (Assam).

EGBERT SINGH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong.

Date : 5-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4

Dharwar-4, the 28th March 1978

Notice No. 213/77-78/Acq.—Whereas I D. C. RAJAGOPALAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Municipal No. 3-11-21 situated at Bazar, Osman Gunj, Yadgir, situated at Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Under Document No. 1011 on 31-10-1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Nagabhushan Sharnappa Chatnalli, Yadgir, District Gulbarga.

(Transferors)

(2) Shri Kantilal Sarupchand Gandhi, C/o M/s. Sarupchand Prabhulal, Commission Agent, Yadgir, District Gulbarga.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable Property consists of a shop, godown and open space, situated at Usman Gunj, Yadgir. The Municipal No. of the Building is 3-11-21.

D. C. RAJAGOPALAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 28-3-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 19th December 1977

Ref. No. P.R. No. 538 Acq.23-972/14-9/77-78.—
Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 7100 (Paiki) Sheet No. 67 Census No. 6/10/47
situated at Ganj Bazar, Unjha (North Gujarat)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sub-Registrar, Unjha on 29-8-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mehta Bhogilal Miratram,
(Decd.) HUF Karta
Shri Shyamsunder Bhogilal,
Bhavada, Unjha.
(Transferor)

(2) Patel Jayantilal Jordas
Unavapara, Navaghar,
Unjha (North Gujarat)
(Transferee)

(3) M/s.H. Parshottam & Co.
Ganj Bazar, Unjha.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property S. No. 7100 (Paiki) Sheet No. 67, Census No. 6/10/47 admeasuring 175-58-73 sq mts. situated at Ganj Bazar, Unjha (North Gujarat) Dist. Mehsana, registered by the Sub-Registrar, Unjha at regd. deed No. 491 in the month of August, 1977.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 19-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 19th December 1977

Ref. No. P.R. No. 539 Acq. 23-972/14-9/77-78.—
Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 7100 (Paiki) Sheet No. 67 Census No. 6/10/43
situated at Ganj Bazar, Unjha (North Gujarat)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sub-Registrar, Unjha on 29-8-1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such appearent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mehta Bhogilal Miratram,
(Decd.) HUF Karta
Shri Shyamsunder Bhogilal,
Bhatvada, Unjha.
(Transferor)

(2) Patel Ramjibhai Jordas,
Unavapara, Navaghar,
Unjha (North Gujarat)
(Transferee)

(3) M/s. H. Parshottam & Co.
Ganj Bazar, Unjha.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property S. No. 7100 (paiki) Sheet No. 67, Census No. 6/10/43 admeasuring 75-25-43 sq. mts. situated at Ganj Bajar, Unjha (North Gujarat) Dist. Mehsana, registered by the Sub-Registrar, Unjha at regd. deed No. 492 in the month of August, 1977.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 19-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 6th March 1978

Ref. No. Acq.23-I-1387(638)/11-4/77-78.—
Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
M. No. 11-4-79, City Survey Ward No. 3, S. No. 3177-78 situated at Mahatma Gandhi Road,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Porbandar on 4-8-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s National Petrolium Co. Porbandar—through partners—
(1) Shri Nathalal Gokaldas,
(2) Shri Manaji Kalidas,
(3) Shri Shamji Ladhabhai,
(4) Shri Gokaldas Ladhabhai,
(5) Shri Chhaganlal Ladhabhai,
(6) Shri Ratilal Ladhabhai,
(7) Shri Chatrabhuj Ladhabhai,
(8) Shri Yusafali Musaji,
(9) Shri Akbarali Musaji,
(10) Shri Abdulhussein Musaji,
(11) Shri Husainali Rahemtula,
(12) Shri Jamnadas Karasandas Kotecha,
(13) Shri Vinodray Odhavji,
(14) Shri Lakhamshi Karsan Kotecha,
self & as power of Attorney holder of above partners 1 to 13.
(Transferors)

(2) M/s Kothari & Co.
Ner Shrinathji ni Haveli,
Porbandar.
(Transferee)

(3) 1. Shri Haridas Bhagwanjibhai Tajawala,
2. Shri Kantilal Bhagwanjibhai Tajawala,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 720 sq. yards bearing M. 11-4-79, City Survey Ward No. 3, S. No. 3177-78, situated at Mahatma Gandhi Road, Porbandar, and as fully described in the sale deed registered under registration No. 1684 dtd. 4-8-1977.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Ahmedabad.

Date : 9-3-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd April 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1327(644)/1-1/77-78.—
Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. City Survey No. 4221, paiki Sub-Plot No. 23 of Shahpur Wd-II, situated at Khanpur Road, Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on August 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—36GI/78

(1) M/s Swastik Land Corporation,
through partners—
1. Shri Ramanlal Keshavlal Chokshi,
2. Shri Shantilal Keshavlal Chokshi,
3. Shri Nanubhai Keshavlal Chokshi,
Ratanpole Naka, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Khanpur Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
through—Secretary Suresh J. Shah,
Khanpur Road, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 512.6 sq. yds. bearing City Survey No. 4221 paiki sub-plot No. 2-B of Shahpur Ward-II, situated at Khanpur Rd. Ahmedabad, as mentioned in the sale-deed registered vide R. No. 2747 dated 31-8-1977, registered by sub-registrar, Ahmedabad.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 3-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd April 1978

Ref. No. Acq. 23-I-1331(645)/1-1/77-78.—
Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as in the said Act'), have reason to believe that the immoveable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
C.S. No. 4221, Sub-Plot No. 2A of Shahpur Wd-2, suituated at Khanpur Road, Ahmedabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on August 1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Sterling Enterprises,
Through its partner,
Shri Basantkumar Banwarilal,
Minta Apartments, Navrangpura,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Khanpur Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
through its Secretary Suresh J. Shah,
Khanpur Road, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land admeasuring 513 sq. yds. bearing City Survey No. 4221 sub-plot No. 2-A of Shahpur Ward 2, Khanpur Road, Ahmedabad as mentioned in the Sale-deed registered vide R. No. 5716/77, dtd. 31-8-1977, registered by Sub-Registrar, Ahmedabad.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 3-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 3rd April 1978

Ref. No. Acq.23-I-1481(646)/5-1/77-78.—
Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
New CS Bhavnagar Wd-7, Sheet No. 169 out of Nondh No. 1569 & 1560 Plot No. 12-A, situated at Merchant Park, beside Magirajwadi, behind Peel Garden, Bhavnagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhavnagar in August 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Ms Sohitraj Construction,
Nirmalnagar, Bhavnagar.

(Transferor)

(2) Shri Kantilal Gulabchand Shah,
Artificial Jari Merchant,
41-Mota Mandir, 3rd Bhoiwada,
1st floor, Bhubeshwar,
Bombay-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Building on land adm. 247 sq. yds. bearing Plot No. 12-A, New City Survey No. Bhavnagar Wd-7, Sheet No. 169 of Nodh No. 1569 and 1560, situated at Merchant Partk, Beside Majrajwadi, Behind Peel Garden, Bhavnagar, Registered in the office of the Registering Officer Bhavnagar in the month of August, 1977 as per sale deed registered under registration No. 946/77.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rane-II, Madras-6.

Date : 3-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 30th March 1978
4th April 1978

Ref. No. 1764.—Whereas, I, B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Model Town, Jullundur,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Jullundur on August, 1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Jaswant Singh S/o
Shri Bikram Singh,
T.B. Hospital, Patiala
(G.A. of S. Bikram Singh S/o
S. Ishar Singh).
(Transferor)

(2) Sh. Inder Parkash S/o
Sh. Rattan Chand,,
Kothi No. 324, Model Town,
Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi as mentioned in the registeration sale deed No. 3218 of August, 77 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 30-3-78
4-4-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA,

OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 30th March 1978
4th April 1978

Ref. No. 1765.—Whereas, I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule situated at Model Town, Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur on Oct., 1977
for an apparent consideraion which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reaosn to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Jaswant Singh S/o
Shri Bikram Singh,
T.B. Hospital, Patiala
(G.A. of S. Bikram Singh S/o
S. Ishar Singh).

(Transferor)

(2) Smt. Samitra Devi W/o
Shri Inder Parkash,
S/Shri Madan Lal Subash Chander and
Dharam Vir Ss/o Sh. Inder Parkash,
324, Model Town, Jullundur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi as mentioned in the registeration sale deed No. 4377 of October, 1977 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur,

Date : 30-3-78
4-4-78

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 30th March 1978
4th April 1978

Ref. No. AP-1766.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at
Shaheed Udham Singh Nagar Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) M/s. Azad Nakodar Bus Service (P) Ltd., H.O. Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Shri Satish Kumar, Vinor Kumar Ss/o Shri Roshan Lal
Attari Bazar, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3049 of August, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 30-3-78
4-4-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 30th March 1978
4th April 1978

Ref. No. AP-1767.—Whereas, I, B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Mota Singh Nagar Jullundur,
and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The M/s. Pratap Co-operative House Building Society Ltd. Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Shri Gursher Singh, Narsher Singh Ss/o Shri Gurnam Singh, 696-Model Town, Jullundur.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot in Mota Singh Nagar, Jullundur as mentioned in the Registeration Sale deed No. 3556 of August, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 30-3-78
4-4-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 30th March 1978
4th April 1978

Ref. No. AP-1768.—Whereas, I B. S. DEHIYA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

As per Schedule situated at
Mota Singh Nagar Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on August, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) The M/s. Pratap Co-operative House Building Society Ltd. Jullundur.

(Transferor)

(2) 1. Patwant Kaur Wd/o Shri Gurnam Singh
2. Sunimar Kaur D/o Shri Gurnam Singh
696-Model Town, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot in Mota Singh Nagar Jullundur as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3557 of August, 1977 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 30-3-78
4-4-1978

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th April 1978

Ref. No. AP-1769.—Whereas I, B. S. DEHIYA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per Schedule situated at

Mota Singh Nagar Jullundur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Jullundur on Sept. 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

16—36GI/78

(1) M/s. The Pratap Co-operative House Building Society Ltd., Jullundur.

(Transferor)

(2) 1. Rajinder Singh S/o Shri Pratap Singh
2. Satinder Jit Kaur W/o Shri Narsher Singh, 696-Model Town, Jullundur.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.

[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein at are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot in Mota Singh Nagar, Jullundur as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3965 of Sept., 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-4-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 4th April 1978

Ref. No. AP-1770.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at
Basti Danishmanda, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on August, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Mohinder Singh s/o Shri Prem Singh,
2. Shri Karamjit Snigh (Minor)
Through Shri Mohinder Singh (Father)
R/o Basti Danishmanda,
Jullundur.
(Transferor)

(2) M/s. All Round Sports
(Through Shanker Singh),
Basti Nau, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3368 of August, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-4-1978
Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 4th April 1978

Ref. No. AP-1771.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at
New Jawahar Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jullundur on August, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) 1. Shri Anil Kumar Khular
2. Shri Ashok Kumar Khular
Ss/o Shri Ram Gopal Khular
37-Green Park, Jullundur.
(Transferor)

(2) 1. Shri Ved Parkash Passi
S/o Diwan Chand
2. Shri Hira Jagdish Kamal
3. Shri Shiv Shakti
Ss/o Shri Ved Parkash
184-New Jawahar Nagar,
Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property,
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3021 of August, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 4th April 1978

Ref. No. AP-1772.—Whereas, I, B. S. DEHIYA being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at
Industrial Area, Jullundur
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jullundur on September, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Swaran Lal Malhotra,
S/o Bindra Man Malhotra,
S-62, Industrial Area,
Jullundur.
(Transferor)

2) Shri Narinder Singh
23-Shakti Nagar,
Jullundur.
(Transferee)

3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3930 of September, 1977 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-4-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 18th March 1978

Ref. No. IAC/Acq/77-78/390.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Hind Industries situated at Kherthal Mandi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), nas been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Alwar on 31-8-77
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-seciton (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Mahesh Chand, Omprakash and Smt. Prabhvanti Mahajan, Resident Scheme No. 2, Alwar.

(Transferor)

(2) Shri Narender Kumar S/o Mahavir Pd. and Shri Rajender Kumar S/o Bhouri Lal Resident of Alwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of the property known as Hind Industries situated at Mandi Kherthal Distt. Alwar and described in the conveyance deed registered by the Distt. Registrar, Alwar at Sr. No. 8/77 dated 31-8-77.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 18-3-78

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 18th March 1978

Ref. No. OAC/Acq/77-78/391.—Whereas, I, M. P. VASHISHTHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
Hind Industries situated at Kherthal Mandi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Alwar on 31-8-77
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Mahesh Chand, Omprakash and Smt. Prabhti Devi Mahajan, Resident of Scheme No. 2. Alwar.

(Transferor)

(2) Shri Vijay Kumar S/o Niranjan Lal Mahajan,
Kherthal, Teh. Kishangarh,
Distt. Alwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of the property known as Hind Industries situated at Mandi Kherthal Distt. Alwar and described in the conveyance deed registered by the Distt. Registrar, Alwar at Sr. No. 7/77 dated 31-8-77.

M. P. VASHISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 18-3-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 18th March 1978

Ref. No. IAC/Acq/77-78/392.—Whereas, I, M. P. VASHISHTHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
B-337 situated at Janta colony, Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 4-7-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property is aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Inocome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Weather-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Prakash Chand Sancheti self and Karta HUF
S/o Kapoorchand Jain Oswal,
Janta colony, Plot No. B-337,
Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Madal Lal S/o Nathulal,
Vijayavargia Rasta Jadian Haveli Bombaywalon,
Gali Sitararam, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property situated at plot No. B-337, Jantn colony Jaipur and described in the conveyance deed registered by the Sub-Registrar Jaipur at Sr. No. 1173 dated 4-7-77.

M. P. VASHISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 18-3-78
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 30th March 1978

Ref. No. IAC/Acq/393.—Whereas, I, M. P. VASHISHTHA
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agriculture land situated at Amlai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Rajsamand on 1-7-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persions, namely :—

(1) Shri Laxmansingh S/o Doongarsnigh S/o Bhanwarlal Karnawat, C/o Ampat Automobiles, Panchwati, Udaipur.

(Transferor)

(2) Shri Dalpat Singh S/o Vagatasingh and Shri Bhanwarsingh S/o Sivsingh Rao, Village Kalodia Teh. Girwa, Distt. Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period ot 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 21 bigas and 8 biswas situated at village Amlai, Tehsil Rajnagar described in the conveyance deed registered at Sr. No. 337 dated 1-7-77 by the Sub-Registrar, Rajsamand, Distt. Udaipur.

M. P. VASHISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 30-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 30th March 1978

Ref. No. IAC/Acq/394/.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agri-land situated at Amlai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the offire of the Registering Officer at
Rajsamand on 1-7-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Bhanwarlal S/o Hiralal Karnawat
Advocate Rajnagar, Dist. Udaipur.
(Transferor)

(2) Shri Dalpatsingh S/o Vagtasingh and
Shri Bhawarsingh S/o Shiv Singh Rao
Resident of Kalodia Teh. Girwar, Distt. Udaipur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 12 bigas and 9 biswas situated at village Amlai Teh. Rajnagar Distt. Udaipur described in the conveyance deed registered at Sr. No. 338 dated 1-7-77 by the Sub-Registrar, Rajsamand, Distt. Udaipur.

M. P. VASISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 30-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 30th March 1978

Ref. No. IAC/Acq/395/.—Whereas, I, M. P. VASHISHTHA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agri. land situated at Amlai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajsamand on 10-8-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Daryavsing S/o Shri Bhanwarlal Karnawat,
Resident of Teh. Rajgarh,
At present at Mograwadi, Near Gulabbagh,
Udaipur.

(Transferor)

(2) Shri Bhanerusing S/o Vagtasingh and
Madho Singh S/o Dalpat Singh (Minor)
Guardian Shri Dalpatsingh S/o Vagtasingh Rao
Resident of Kalodia Teh. Girwa, Udaipur/or
village Amlai, Teh. Rajnagar Distt. Udaipur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land measuring 22 Bigas and 17 Biswas situated at village Amlai Teh. Rajnagar, Distt. Udaipur described in the conveyance deed registered at Sr. No. 383 dated 10-8-77 by Sub-Registrar, Rajsamand, Distt. Udaipur.

M. P. VASHISHTHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date : 30-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
60/61 ERANDAWANA, KARVE ROAD,
POONA-411004

Poona-411004, the 13th February 1978

Ref. No. CAS/Kalyan/Sep'77/350.—Whereas, I, SMT. P. LALWANI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 49, Plot No. 10, situated at Dombivli (Thana)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kalyan on 30-9-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such appartent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitabai Devasi Patel,
Maniklal Estate, Ghatkopar,
Bombay-86.

(Transferor)

(2) Naresh Co-operative Housing Society,
Gopal Nagar, Dombivli (East).

(Transferee)

(3) (1) Mrs. Sharadaben V. Chauhan
(2) Mrs. Vinodrani S. Verma
(3) Mr. Sadashiv R. Potdar
(4) Mr. Shivaji N. Shinde
(5) Mr. A. U. Menon
(6) Mr. Ratikant B. Bagkar
(7) Dr. Vinodkumar B. Eambre
(8) Mr. Divakar A. Bhave
(9) Mr. Jayawant B. Agawane
(10) Mrs. Shailaji V. Acharekar
(11) Mr. G. M. Lattoo
(12) Mrs. M. K. Pavase
(13) Mr. V. R. Shivrajan
(14) Mr. C. W. Paranjape
(15) Mrs. K. Lakshmi Shrinivasan
(16) Mr. Yeshwant B. Bauskar
(17) Mr. Shivram D. Patil
(18) Mr. Mohan P. Vartak
(19) Mr. Keshav B. Surve
(20) Mrs. Kantaben L. Thakkar.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground together with the building constructed thereon lying and situate at Revenue Village Gajabandhan Patharli, within the jurisdiction of Patherli Grampanchayat in the registration sub-District Kalyan and Registration District Thana, admeasuring 545.63 sq mts. or thereabout bearing survey No. 49, Hissa No. Nil plot No. 10 and having a structure or construction of building standing thereon comprising various residential blocks shown in the plan annexed hereto and bounded as under : under :

On or towards the East : Plot No. 11
On or towards the West : 30 ft wide proposed road
On or towards the South : The piece of land bearing Survey No. 48/1

On or towards the North : 20 ft wide proposed road.
(Property as described in the Sale deed registered under No. 512 dated 1-9-77 in the office of the S. R. Kalyan).

SMT. P. LALWANI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 13-2-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ,
BHAWAKAR BHAWAN PLOT NO. 31
GANESH KHIND ROAD,
PUNE-411005

Poona-411085, the 27th March 1978

Ref. No. CA5/Savada/July'77/353.—Whereas, I, SWAMI ANAND BODHISATVA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Gat No. 854, S. No. 232/3 situated at Savada Dist. Jalgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Savada on 25-7-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Smt. Narmadabai Ramdas Patil
(2) Smt. Malati Pandharinath Chaudhari,
(3) Baby Yadavrao Chaudhari,
(4) Kumudini Yayaram Gajare,
(5) Suman Purushottam Mahajan
(6) Rajani Dinkar Patil
S. Nos. 1, 3 & 5 at & Post Savada, Dist. Jalgaon.
S. No. 2, Shirode, Dist. Jalgaon.
S. No. 4 at Nhavi, Dist Jalgaon.
S. No. 6 at Anjali Dist. Jalgaon.
(Transferor)

(2) (1) Vishwanath Supudu Javale,
(2) Prabhakar Supudu Javale,
At & Post. Savada, Tal Raver Dist. Jalgaon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land at No. 854 at village Savada, Dist. Jalgaon, Area : 1 H 28 R. together with right in well water.
(Property as described in the Sale Deed registered under No. 466 dated 25-7-1977 in the office of the Sub-Registrar, Savada).

SWAMI ANAND BODHISATVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 27-3-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 22nd February 1978

Ref. No. RAC. No. 235/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/2 Port. 16/112 situated at Trunk Road, Nellore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Nellore on 14-7-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vennelaganti Seethabhanumathamma, W/o late Suryanarayana Rao, H. No. 7/149 Godugupet, Masulipatnam.

(Transferor)

(2) 1. Sri Chinni Subbarao. 2. Sri Chinni Subbu krishnamurthy, being minor, Rep. by father Sri Chinni Subbarayudu. C/o Andhra Pharma Distributors & Co., Trunk Road, Nellore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the House No. 16/112 situated at Trunk Road, Nellore registered vide Doc. No. 1624/77 with the Registrar of Nellore.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 22-2-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 241/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No. 9-95 situated at Dharampuri Jagtial Tq.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jagtial on 12-7-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Renukunta Kantiah, S/o Sambaiah, Kirana Merchant Dharmapuri, Jagtial-Tq, Karemnagar-Dist.

(Transferor)

(2) S/Sri Jonnala Rajaiah, 2. J. Anjaiah, 3. J. Ramaiah, 4. J. Laxmaiah, all are sons of Sri J. Narayana, R/o Mangela, Village, Jagtial-Tq, Kareemnagar-Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 9-95 at Dharmapuri, villtage, Jagtial-Tq, Kareemnagar Dist., registered vide Doc. No. 1882/77 with the Sub-Registrar Jagtial.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 242/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 10-1-5 situated at Ghandhi Road
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chittoor on 20-7-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269 of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri V. Raja Reddy, 2. Smt. V. Lalithakumari, both residing at Vallivedu, Chandragiri-Tq. Chittoor, Dt.

(Transferor)

(2) Sri V. Surendra Babu, 2. Smt. V. Soudamini, H. No. 10-3-4 at Seshadrao Street, Chittoor.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-1-5 at Gandhi Road, Chittoor, registered vide Doc. No. 6156/77 with the Sub-Registrar Chittoor.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 243/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceedings Rs. 25,000/- and bearing
No. 11-3-862 situated at Mallapally
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad. Khairtabad on July 77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indain Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Khujistabanu W/o Zaheeruddin Khan, H. No. 12-1-575 at Syed Ali guda, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mr. Mohammed Yadullah S/o Sri Khaja Moinuddin, Civil Engineer, P. B. No. 674 Doha Qatar. (H. No. 18-5-424 at Laldarwaza, Hyderabad.)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms, and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 11-3-862 at Mallapally, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1796/77 with the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 244/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4-5-30 situated at Sultanbazar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Hyderabad on July-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor of the transferor to pay tax under the 'said Act,' to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

18—36GI/78

(1) S/Shri Kenchey Sambiah,
2. K. Jagdishwar,
3. Smt. K. Annapurna,
all residing at H. No. 4-2-502/1 at Sultanbazar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Mavjee Bhai S/o Khimji,
2. Kokarshi, S/o Muljee Bhai, C/o M/s. Roopam Dresses, Sultanbazar H. No. 4-5-40, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 4-5-30 first floor situated at Sultan Bazar Hyderabad, registered vide Doc. No. 1972/77 with the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Rc. No. RAC. No. 245/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-5-31 & 40 situated at Sultan Bazar Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on July-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sri 1. Kenchay Sambaiah,
2. K. Jagdishwar, Smt. K. Annapurana,
all residing at H. No. 4-2-502 Sultan Bazar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Mavjee Bhai, S/o Khimji,
2. Sri Tokarshi,
both are partners in M/s. Roopam Dresses, H. No. 4-5-40 at Sultan Bazar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor portion of building No. 4-5-31 and 4-5-40 at Sultan Bazar, Hyderabad, registered vide Doc. No. 2044/77 with the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 246/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 142/5 situated at Prenderghast Road, Sec. bad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on 21-7-77
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Parimala Kanthiammal,
2. A. S. Jayakumar represented by his Attorney mother, Sri Parimala Srinivasa Rao, both are residing at H. No. 11, Chittaranjan Road, Madras-11.

(Transferor)

(2) 1. Pravinchandra,
2. Rajendra Kumar,
3. Ashok Kumar,
4. Bharat Kumar,
all are sons of Sri Jamnadas, residing at H. No. 148 Hyderbasti, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons wihin a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 5 in premises No. 142 at Prenderghast Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 1138/77 with the Sub-Registrar, Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 247/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Shop No. 24 situated at S. D. Road, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Secunderabad on 17-7-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of ths notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. United Builders, represented by its Managing partners,
1. Sri Sundermal,
2. Prahalad Rai,
3. Umraomal,
all residing at No. 1, at 21-2-772 No. 2, 21-2-635 Patel Market, Hyderabad and No. 3 at H. No. 21-6-741 Chellapura, Hyderabad.
(Transferor)

(2) Sripati Chalam, S/o Venkat Ramaiah, H. No. 2-5-109 at Ramgopalpet, Secunderabad (McLeodguda)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 24 on the ground floor in southern side premises M. No. 1-7-27 to 34 and 1-7-206 to 228 at Mahatma Gandhi Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. P-161/77 with the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 248/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 100-A situated at Srinagar Colony Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad on 26-7-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Ponaka Pracanna Kumar Reddy,
2. Ponaka Jyothishan, both represented by G.P.A. P. R. Gopal Krishnareddy, H. No. 4-1-917 Tilak Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Dr. J. Satyanarayana, H. No. 8-3-965 at Srinagar Colony, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land in plot No. 100-A situated Srinagar Colony, Hyderabad, purchased through Document No. 1845/77 with the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 249/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 8-3-965 situated at Srinagar Colony Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Khaitabad on 29-7-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) 1. Sri Ponaka Prasanna Kumar Reddy,
2. Sri Ponaka Jyothishna,
both represented by G.P.A. Sri P. R. Gopalakrishnareddy, 4-1-917 Tilak Road, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Kumari J. Laxmi Memalatha, represented by Sri J. Satyanarayana, H. No. 8-3-965 at Srinagar Colony Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 8-3-965 at Srinagar Colony, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1847/77 with the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 250/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4055 Sq. Yds. situated at Kamareddy, Nagpur Road, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kamareddy on 1-7-1977
for apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Bhaskar Rao, S/o K. Laxman Rao, near gunj, Nagpur Road, Kamareddy, Nizamabad Dist,
(Transferor)

(2) M. D. Patel & Co., Nagpur Road, Kamareddy, Nizamabad Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plots bearing Nos. 95, 96, 94, 105 & 107 total area 36,500 Sq. Feet, at Indiranagar Colony, Kamareddy, Nizamabad Dist., registered vide Doc. No. 3986/77 with the Sub-Registrar Kamareddy.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 251/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plots 35,000/Sq. Fts. situated at Kamareddy
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Kamareddy on 1-7-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri K. Bhaskar Rao, S/o Sri K. Laxman Rao, R/o Nagpur Road, Kamareddy, Nizamabad Dist.
(Transferor)

(2) Sri Laxmi Saw Mill, Nagpur Road, Kamareddy, Nizamabad Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plots bearing Nos. 97, 98, 99, 102, & 103 admeasuring 35,000/- Sq. Feet and Plot No. 100 and 101, situated at Indiranagar Colony, Kamareddy, Nizamabad-Dist. registered vide Doc. No. 3995/77 with the Sub-Registrar Kamareddy.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 252/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Mulgi. No. 52 situated at Abids Shopng Centre, Hyd.
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on July 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Miss Gulshan Bajaj, H. No. 21/B Surjan Singh Park New Delhi, by G.P.A. Sardar Daljit Singh, H. No. 1/A Janpath, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Mehrunnisa Begum, H. No. 6-1-268 at Khairtabad Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mulgi No. 52 (ground floor) M. No. 5-8-517/52 at Chiragali lane Abids Shopping Centre, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1881/77 with the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS————————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 13th March 1978

Ref. No. RAC. No. 253/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office No. 234 situated at Chandralok Comp Secundrabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Secunderabad on July-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent conisderation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Swastik Construction Co., at 111-S. D. Road, Secunderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Jayamala Reddy, No. 252/1 at Marcdpally Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office premises No. 234 in IInd floor of Chandralok Complex at 111-S.D. Road, Secunderabad, Resistered vide Doc No. 1212/77 with the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 13-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 14th March 1978

Ref. No. RAC. No. 254/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B,
of the Income-tax Act., 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5-9-12 situated at Saifabad Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferre dunder the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Hyderabad on July-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tarnsferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Sri Pingale Jaganmohan Reddy,
2. Ajith Kumar Pingale,
3. Dr. Jairamchandar Pingale,
4. Dr. Gowtham Pingale,
all residing at 5-9-12 Saifabad, Hyderabad.

(Transferor)

(2) 1. Sri G. Satyanarayana Varma, Kompalli, via. Kakimpet, Secunderabad.
2. G. Sriramachandra Varma via Kakimpet, Secunderabad.
3. Sri B. Ramalinga Raju } both residing at
4. B. Ramaraju, } Jeedimetla, Secunderabad.
5. K. Rajamraju,
6. K. Vijayamallapa Raju, both residing at Sri Vani grape guarden, Geedeemetla, Secunderabad.
7. K. Venkataramaraju, Secundrabad.
8. K. Ramakrishnam Raju, Kesavaram, West Godawari-Dt.
Dhananjaya Hotels Pvt. Ltd. 5-9-12 Saifabad, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any. to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House M. No. 5-9-12 at Saifabad, Hyderabad, known as "Lumbini Gardens" consisting of ground floor, first floor and second floor, registered vide Doc. No. 1829/77 with the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 14-3-1978.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 14th March 1978

Ref. No. RAC. No. 255/77-78.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market, value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 10-5-1/2B situated at Masabtank Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on 26-7-77
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be discussed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri M. B. Raja Rao, 311, 2RT P. S. Nagar, Hyderabad.
2. M. B. N. Venkata Prasad, Scientist, Agr. Research Service, Central Tuber Crops Research Institute Sreekariyam, Trivandrum, Kerala-State.
3. M. B. Prem Nath, Srinivas Prasad, H. No. 311-2RT, P. S. Nagar, Hyderabad.
4. M. B. Padmavathi, W/o Raja Rao,
5. Kum. M. B. Indira, D/o Raja Rao,
6. Kum. M. B. Jaya Sri, D/o Raja Rao,
7. Smt. A. Sharadha, W/o A. Jayaramachandra, H. No. 108, Saklasivnagar, Lower Palace, Orchards, Bangalore.

(Transferors)

(2) Sri Mohd. Abdul Rehman, Rep. by Smt. Amina Shain, H. No. 11-2-550 at Agapura, Hyderabad.

(Transferers)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-5-1/2B at Masab Tank Hyderabad, registered vide Doc. No. 1841/77 with the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 14-3-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 14th March 1978

Ref. No. RAC No. 256/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10-5-1/2C situated at Masabtan, Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairtabad on July 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Sri M. B. Raja Rao,
311-2RT P.S. Nagar,
Hyderabad
2. M. B. N. Venkata Prasad,
Scientist, Agri. Reserve Service Central Tuber Crops Research Institute, Sreekariyam, Trivandrum, Kerala
3. M. B. Prem Nath-Srinivasprasad,
H. No. 311-2RT, P.S. Nagar,
Hyderabad
4. M. B. Padmavathi W/o Raja Rao
5. Kum. M. B. Indira D/o Raja Rao
6. Kum. M. B. Jaya Sri D/o Raja Rao
7. Smt. A. Sharadha W/o A. Jayaramchandra,
H. No. 108 Sadavinagar, Lower Palace, Orchards, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mrs. Amina Shaheen, W/o M. Abdul Rahman,
H. No. 11-2-550 at Agapura, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 10-5-1/2C at Masab Tank, Hyderabad, registered vide Doc. No. 1843/77 with the Sub Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 14-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD

Hyderabad, the 14th March 1978

Ref. No. RAC. No. 257/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
10-1-19/3 G.F. situated at Saifabad, Hyderabad
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khairtabad on 23-7-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the **Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Humayun Yar Khan,
Represented by Smt. Safdarunnisa Begum,
H. No. 6-3-109 Somajiguda,
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Qamar Zahan Begum
W/o M. A. Baig,
Pullvasal-Estate, Munnar-Post, Kerala.

(Transferee)

(3) Sri G. V. Pithambara Rao.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ground floor of the House No. 10-1-19/3 at Saifabad, Hyderabad, registered *vide* Doc. No. 1810/77 with the Sub-Registrar Khairtabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 14-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 14th March 1978

Ref. No. RAC. No. 258/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 5-3-314 to 317 situated at Goshamahal, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on July-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Qudsia Khanum, H. No. 3-2-280 Moti Market, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Adeeba Sultana, W/o Mohd. Abdul Rasheed, H. No. 3-2-280 Moti Market, Hyderabad.

(Transferee)

(3) 1. Satyapriya & Co., Bangles dealers, 5-3-316 Hyd.
2. Ramesh Cycle Repairs.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed Mulgies bearing MPL No. 5-3-314 to 317 situated at Goshamahal, Hyderabad, registered vide Doc. 1876/77 with the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 14-3-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 11th April 1978

Ref. No. IAC/Acq. I/SR. III/82/July-I(10)/77-78.—Whereas I, J. S. GILL
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. E-314 situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 5-7-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Banwari Lal Narula, s/o Shri Babu Ram Narula, r/o 1048, Bazar Sita Ram, Delhi-110006.

(Transferor)

(2) Shri Chaman Lal Gulati, s/o Sh. Sagar Chand, r/o S-235, Greater Kailash-I, New Delhi-110048.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 250 sq. yds. bearing No. 314, Block No. 'E' situated in the residential colony known as Greater Kailash-II, New Delhi in the area of Village Bahapur in the Union Territory of Delhi Municipal Corporation and bounded as under :—

East : Plot No. E-312
West : Plot No. E-316
North : Road
South : Service Lane.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range I
Delhi/New Delhi.

Date : 11-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 6th April 1978

Ref. No. 38/AUG/77.—Whereas, I, A. T. GOVINDAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Survey No. 117/3, situated at Pallapatti village, Salem taluk (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Salem (Doc. No. 865/77) on 22-8-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth- tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

(1) M/s. S. R. Arjunan
35, First Street, Narayana Nagar,
Salem, and
V. Manickam,
No. 12, Kabini Chetty St.,
Arisipalayam, Salem
(Transferor)

(2) Shri P. Manickam Nadar,
S/o Palanisamy Nadar,
No. 54, R. Narasimha Chettiar Road.
Shevapet, Salem-2.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural lands measuring 1 acre and 20 cents in survey No. 117/3, Pallapatti village, Salem Taluk, Salem district.

A. T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-6.

Date : 6-4 1978.

Seal .

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

GEOLOGISTS EXAMINATION, 1978

New Delhi, the 22nd April, 1978

No. F.4/6/77-E.I.(B).—A combined competitive examination for recruitment to the categories of posts mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, CHANDIGARH, COCHIN, CUTTACK, DELHI, DISPUR (GAUHATI), HYDERABAD, JAIPUR, JAMMU, LUCKNOW, MADRAS, NAGPUR, PANAJI (GOA), PATNA, SHILLONG, SIMLA, SRINAGAR and TRIVANDRUM commencing on 22nd August, 1978 in accordance with the Rules published by the Ministry of Steel and Mines in the Gazette of India, dated 22nd April, 1978.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (See Annexure , para 11).

2. The categories of posts to which recruitment is to be made on the results of this examination and the approximate number of vacancies in the various posts are given below :—

Category I : (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel & Mines)

(*i*) Geologists (Junior) Group A	175 (Includes 52 vacancies reserved for Scheduled Castes and 27 vacancies for Scheduled Tribes candidates).
(*ii*) Assistant Geologist Group B	*

Category II ; (Posts in the Central Ground Water Board Ministry of Agriculture and Irrigation).

(*i*) Junior Hydrogeologist, Group 'A'	*
(*ii*) Assistant Hydrogeologist Group B	8 (Includes 2 vacancies reserved for Scheduled Castes and 2 vacancies for Scheduled Tribes candidates).

*Vacancies not intimated by Government.

The above numbers are liable to alteration.

Appointments will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

3. A candidate may apply for admission to the examination in respect of all or any of the posts mentioned in para 2 above. He will be considered only for the post(s) he applies for. Once an application has been made, no change will ordinarily be allowed.

If a candidate wishes to be admitted for more than one category of posts he need send in only one application. He will be required to pay the fee mentioned in para 6 below once only and will not be required to pay separate fee for each post for which he applies.

N.B.—Candidates are required to specify clearly in their applications the posts for which they wish to be considered in the order of preference.

4. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi (110011), on the prescribed form of application. This prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Rs. 2.00 which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi (110011), by Money Order, or by Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders/Postal Orders. The form can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's Office.

This amount of Rs. 2.00 will in no case be refunded.

NOTE.—CONDIDATES ARE WARNED THAT THEY MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON THE PRINTED FORM PRESCRIBED FOR THE GEOLOGISTS' EXAMINATION 1978 APPLICATIONS ON FORMS OTHER THAN THE ONE PRESCRIBED FOR THE GEOLOGISTS' EXAMINATION, 1978 WILL NOT BE ENTERTAINED.

5. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, on or before the 5th June, 1978 (19th June, 1978) in the case of candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 5th June, 1978) accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 5th June, 1978.

6. Candidates seeking admission to the examination must pay to the Commission with the completed application form, a fee of Rs. 48.00 (Rs. 12.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or Crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad, as the case may be, for credit to account head "051-Public Service Commissioner—Examination Fees" and attach the receipt with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDIDATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE UNDER PARAGRAPH-7 BELOW.

7. The Commission may at their discretion remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March 1971, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964, or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964, and is not in a position to pay the prescribed fee.

8. A refund of Rs. 30.00 (Rs. 8.00 in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, the application of a candidate seeking admission to the examination in terms of Note 1 below rule 7 is rejected on receipt of information that he has failed in the qualifying examination or will otherwise be unable to comply with the requirements of the provisions of the aforesaid Note, he will not be entitled to a refund of fee.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained, except as provided above, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

9. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

R. S. GOELA, *Deputy Secy. Union Public Service Commission.*

ANNEXURE

INSTRUCTION TO CANDIDATES

1. *Before filling in the application form the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION, ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

2. The application form, and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting. An application which is incomplete or is wrongly filled in is liable to be rejected.

All candidates, whether already in Government service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment, should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees, are however, required to obtain the permission of Head of their Office/Department before they are finally admitted to the examination. They should send their applications direct to the Commission after detaching the 2 copies of the form of certificate attached at the end of the application form, and submit the said forms of certificate immediately to their Head of Office/Department with the request that one copy of the form of certificate duly completed may be forarded to the Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi as early as possible and in any case not later than the date specified in the form of certificate.

3. A candidate must send the following documents with his application :—

(i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for the prescribed fee or attested/certified copy of certificate in support of claim for fee remission (See paras 6 & 7 of the Notice and para 6 below).

(ii) Attested/certified copy of Certificate of Age.

(iii) Attested/certified copy of Certificate of Educational qualification.

(iv) Two identical copies of recent passport size (5 cm X 7 cm. approx.) photograph of the candidate.

(v) Attested/certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe where applicable (See para 4 below).

(vi) Attested/certified copy of certificate in support of claim for age concession where applicable (See Para 5 below).

NOTE.—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED IN ITEMS (ii), (iii), (v) AND (vi) ABOVE ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER OF THE GOVERNMENT OF CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT. THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION ARE LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF OCTOBER, 1978. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE PERSONALITY TEST ON THE RESULTS OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE. THEY SHOULD KEEP THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES IN READINESS FOR SUBMISSION AT THE TIME OF INTERVIEW. THE CANDIDATURE OF CANDIDATES WHO FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THAT TIME, WILL BE CANCELLED AND THEY WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

Details of the documents mentioned in items (i) to (iv) are given below and of those in items (v) and (vi) are given in paras 4 and 5 :—

(i) (a) CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee—

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows—

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office."

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Order will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) *CROSSED BANK Draft for the prescribed fee*

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi, and should be duly crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or multilated Bank drafts will also not be accepted.

(ii) *Certificate of Age.*—The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certi as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates mainted by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further, they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with that shown in the Matriculation Certificate/Higher Secondary Examination Certificate and no explanation is offered, the application may be rejected.

NOTE 1.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit an attested/certified copy of only the page containing entries relating to age.

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

(iii) *Certificate of Educational Qualifications.*—A candidate must submit an attested/certified copy of a certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in Rule 7. The Certificate submitted must be one issued by the authority (i.e., University or other examining body) awarding the particular qualification. If an attested/certified copy of such a certificate is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence as he can to support his claim to the requisite qualification. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than 30th October, 1978.

(iv) *Photographs.*—A candidate must submit two indentical of recent passport size (5 cm. × 7 cm. approximately), photograph. One of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy should be firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraph 3(ii), 3(iii) and 3(iv) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's office (except as provided for in Note under paragraph 3(iii) above) within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise, the application is liable to be rejected.

4. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate, in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other Officer, as indicated below, of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside, who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate if both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* .... son/daughter* of .... of village/town* .... in District/Division* .... of the State/Union Territory* ....belongs to the .... Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950* the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950* the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951* [as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971, and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976].

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1952*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

2. Shri/Shrimati/Kumari* .... and/or* his her* family ordinarily reside(s) in village/town* ....of .... District/Division* of the State/Union Territory* of.... ....

Signature............

**Designation..........

(with seal of office)

Place .... State/Union Territory*

Date ....

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

5. (i) A displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) claiming age concession under Rule 6(c) (ii) or 6(c) (iii) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964, and 25th March, 1971 :—

(1) Camp Commanndant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the Area in which he may, for the time being be resident;

(3) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer within the Sub-Division in his charge.

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(ii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka claiming age concession under Rule 6(c) (iv) or 6(c) (v) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iii) A repatriate of Indian origin from Burma claiming age concession under Rule 6(c) (vii) or 6(c) (viii) and/or remission of fee under paragraph 7 of the Notice should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon, to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after June, 1963, or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may rsident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(iv) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia, claiming age concession under Rule 6(c) (vi) should produce an attested/certified copy of a certificate, from the District Magistrate of the area in which he may, for the time being be resident, to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services, claiming age concession under Rule 6(c) (ix) or 6(c) (x) should produce an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services, in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. .... Shri .... of Unit .... was disabled while in the Defence Services, in operation during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature ....
Designation ....
Date ....

---

*Strike out whichever is not applicable.

(vi) A candidate disabled while in the Border Security Force claiming age concession under Rule 6(c) (xi) or 6(c) (xii) should produce an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Director General, Border Security Forces, Ministry of Hime Affairs, to show that he was disabled while in the Border Security Forces in operations, during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. .... Shri .... of Unit .... was disabled while in the Border Security Force in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature ....
Designation ....
Date ....

(vii) A repatriate of Indian origin who has migrated from Vietnam claiming age concession under Rule 6(c) (xiii) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Vietnam and has migrated to India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(viii) A candidate claiming age concession under Rule 6(c) (xiv) should submit (i) an attested/certified copy of a certificate from the detaining authority under his seal stated that the candidate had been detained under the Maintenance of Internal Security Act or (ii) an attested/certified copy of a certificate from the Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction in the area stating that the candidate had been arrested of imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder specifying the dates between which he was arrested or imprisoned and certifying that the detention or arrest or imprisonment, as the case may be, was in pursuance of the candidate's political affiliations or activities or his association with the erstwhile banned organisations.

6. A candidate belonging to any of the categories, referred to in paragraph 5(i) (ii) and (iii) above and seeking remission of the fee under paragraph 7 of the Notice should also produce an attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

7. A person in whose case a certificate of eligibility is required may be admitted to the examination but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate is issued to him by the Government of India, Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) or the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), as the case may be.

8. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or othewise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

9. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

10. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month form the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from the Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. Copies of pamphlets containing rules and question papers of five preceding examinations are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him direct by mail orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i). The Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block Baba Kharag Singh Marg New Delhi-110001, (ii) Sale Counters of the Publications Branch, Udyog Bhawan, New Delhi-110001 and office of the Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 and (iii) The Government of India Book Depot, 8, K. S. Roy Road, Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India publications at various mofussil towns.

13. *Communications regarding Applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION.

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE, IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

14. *Change in address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED IF NECESSARY. CHANGES IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978